www.kewalsachtimes.com

₹ 10

जून 2018

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PT-78

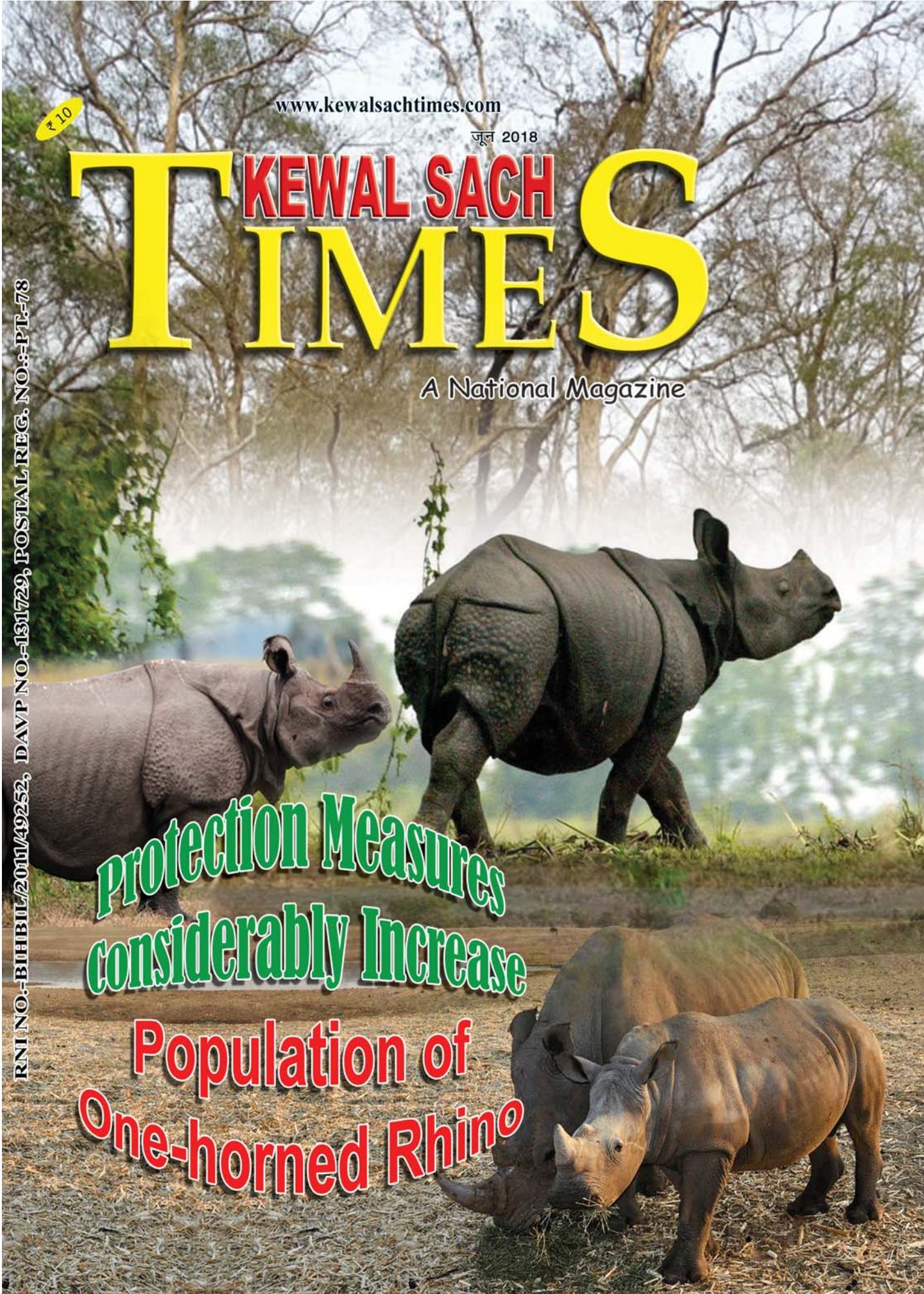

Protection Measures considerably Increase Population of One-horned Rhino

Kewal Sach

हिन्दी मासिक पत्रिका

www.kewalsach.com

Times

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

www.kewalsachtimes.com

Live.in

PORTAL NEWS

SAMAJIK SANSTHAN

NGO

www.ks3.org.in

SHRUTI COMMUNICATION TRUST

www.shruticommunicationtrust.org

खबर वही जो सिर्फ केवल सच हो

सपने, सेवा पहली प्राथमिकता

जो केवल सच हो।

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) 9431073769, 9308727077

Jharkhand State Office:- Sector- 1, Block - 22, Flat No.- 303, Khelgaon Houseing Colony, Ranchi - 835217 (Jharkhand) Ranchi Phone No.- 9431073769, 9308727077, 0612/3240075,

West Bengal Office :- Centre Point, Room No. - 208, 21 Hemant Basu Sarani, Kolkata - 700001 (West Bengal), Ph.-09433567880, 09339740757

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

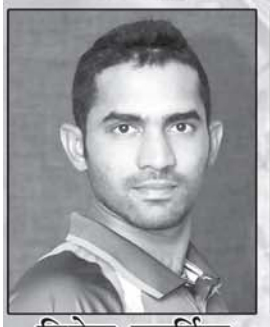

दिनेश कार्तिक
01 जून 1985

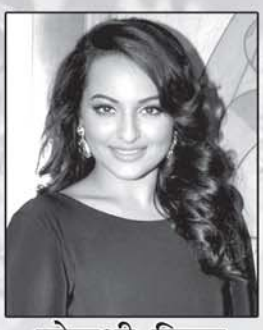

सोनाक्षी सिन्हा
02 जून 1987

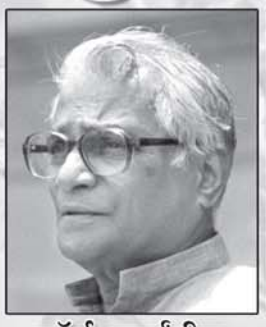

जॉर्ज फर्नांडीस
03 जून 1930

अनिल अंबानी
04 जून 1959

मुकेश भट्ट
05 जून 1952

महेश भूपति
07 जून 1974

शिल्पा शेट्टी
08 जून 1975

किरण बेदी
9 जून 1949

सोनम कपूर
9 जून 1985

सुबोधकांत सहाय
11 जून 1951

किरण खेर
14 जून 1955

शेखर सुमन
14 जून 1960

मिथुन चक्रवर्ती
16 जून 1950

लियंडर पेस
17 जून 1973

राहुल गांधी
19 जून 1970

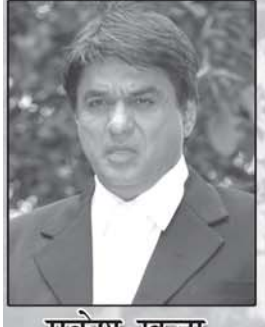

मुकेश खन्ना
19 जून 1958

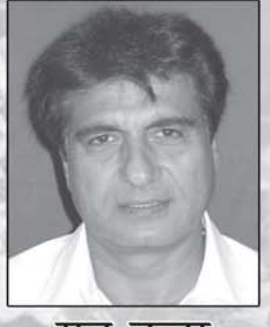

राज बब्बर
23 जून 1952

वीरभद्र सिंह
23 जून 1934

करिश्मा कपूर
25 जून 1974

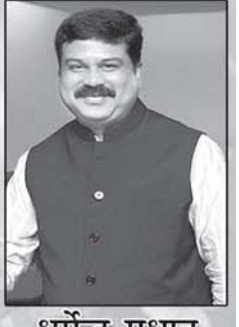

धर्मेन्द्र प्रधान
26 जून 1969

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769, 09308727077
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Sector- 1, Block - 14, Flat No.- 501, Khelgown Houseing Colony, Ranchi - 834009 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, 97A, DDA Flat, Gulabi bagh, New Delhi- 110007
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

सरकारी योजना

बनाम

भ्रष्टाचार

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

चुनाव का शंखनाद होते ही राजनेताओं के पास योजनाओं की लड़ी लग जाती है और वोटर उसके लाभ के विषय में गंभीरता से सोचने लगता है कि अमुक योजना का लाभ कैसे मिलेगा। सन् 1947 में भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ और भारतीय राजनेताओं के हांथ में सरकार आ गयी और इसके बाद सत्ता में बने रहने के साथ-साथ देश का विकास एवं देशवासियों के हितों की रक्षार्थ हेतु योजनाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ की कैसे किसी जरूरतमंद को सरकारी मदद पहुंचाई जा सके। आजादी के बाद सरकार आयी और गई लेकिन आमजनता की समस्याओं का निस्पादन योजनाओं के नाम पर चंद लोग तक ही पहुंच पाया और धीरे - धीरे एक - दो - तीन ही नहीं बल्कि 500 से भी उपर केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त योजनाएं देशवासियों के कल्याण के लिए लागू की गई हैं और आज रोटी - कपड़ा और मकान के साथ - साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य का भी लाभ योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। योजनाओं का वर्चस्व इस कदर हावि होता जा रहा है कि जन्म, विवाह और श्राद्ध के लिए भी राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार मुहैय्या कराने लगी है और योजनाओं को सुलभता से लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कई प्रकार की संस्था का भी सहयोग लेती है। योजनाओं को सरकार से जनता तक पहुंचाने वाले कड़ी के अधिकारी एवं कर्मचारी अपना एवं अपने साहब का हिस्सा काटकर ही योजना लाभुक तक पहुंचता है और इसमें बढ़ते भ्रष्टाचार की आग की लपटें अधिकारी से लेकर राजनेताओं को भी झुलसा चुकी है पर भ्रष्टाचार को रोकना असंभव होता जा रहा है। एक देश में 500 योजना का होना ही भ्रष्टाचार का जन्म है और जिसकी भी सरकार आयी और सत्ता में बने रहने का प्रयास को लेकर कई नई योजनाओं का जन्म हो जाता है। राजनीति में सभी को संतुष्ट रख पाना बहुत मुश्किल है लेकिन योजनाओं के लिए आयोग/निगम बनाकर असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है ताकि योजना के नाम पर ही सही उनके कार्यकर्त्ताओं को भी कुछ न कुछ प्राप्त होता रहे। गरीबी उन्मूलन योजना का आलम यह है की देश में भूख से लोग मर जाते हैं। इंदिरा आवास के तहत मिलने वाली राशि का 25 प्रतिशत जब तक चढ़ावे में नहीं चढ़ें एक ईंट भी नहीं जुड़ सकता और मनरेगा में भी मास्टर रौल योजना के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी चिख-चिखकर कहता है। माँ बनने के समय में भी स्वस्थ्य बच्चे के लिए मिलने वाले पौष्टिक आहार भी भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ जाता है और सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि भ्रष्टाचारियों की कोई जात नहीं होती और इसके हिस्सेदार सिर्फ परिवार के ही सदस्य नहीं होते। सरकार अब बिचौलिये की भी संपत्ति जप्त कर रही है और निगरानी भी भ्रष्टो को दबोचकर सरकारी ससुराल पहुंचाती है लेकिन भ्रष्ट इतने ढीठ हो चुके हैं कि इनको इसका कोई असर ही नहीं पड़ता। योजनाओं एवं सरकारी कार्य को करवाने के लिए आमजनता जद्दोजहद् करती है और अब भ्रष्टाचारी सीधे रकम नहीं लेकर बिचौलिये के माध्यम से कार्य कर रहे हैं ताकि उनपर कोई आंच नहीं आये लेकिन भ्रष्टाचार जिसके नाम पर हो रहा है बिचौलिया स्पष्ट तो कर ही देता है कि किस काम के लिए और किस पदाधिकारी एवं राजनेता को देने के लिए पैसा वसूल रहा है। चंद हजार का पगार पाने वाले कर्मचारी एवं अधिकारी कैसे चंद वर्षों में करोड़ों का संपत्ति अर्जित कर लेते हैं यह अनुसंधान का विषय है। कैसे इनके बच्चे बड़े स्कूलों में वेतन से अधिक इनके बच्चों के शिक्षा एवं कुत्ते के देखभाल में खर्च हो जाते हैं वैसे में इनका रहन-सहन एवं आलीशान ईमारतें एवं चमचमाती गाड़ियों की कतार कैसे उपलब्ध हो जाती है। योजना जिसके लिए आया है 1947 से लेकर आज तक वह गरीब ही है पर इस योजना का क्रियान्वयन करने वाला का एक दो नहीं बल्कि कई राज्यों में संपत्ति का वर्चस्व बढ़ जाता है। सरकार के कई मंत्री चाहे वह राज्य के हो या केन्द्र के कई योजनाओं के लूट के मामले में फंसने के बाद भी भ्रष्टाचार पर नकेल कस पाना आसान नहीं रह जाता और फिलवक्त शौचालय योजना में भी भयकर लूट का माहौल बना हुआ है। पत्रकार ने कलम या माईक उठायी की उसपर रंगदारी के मामले दर्ज और बात आगे बढ़ गया तो मौत का भी सामना करना पड़ता है। सरकारी योजना बनाम लूट किसी एक दल या नेता और पदाधिकारी व कर्मचारी का काम नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम इस कोढ़ को खत्म करने के बजाय इसको बढ़ाने की जुगत में रहता है। किसी भी योजना के तहत विकास का होने वाला कार्य को भी जान-बूझकर विलम्ब किया जाता है ताकि उसका प्रांकलन राशि बढ़ सके। जन्म के लिए अलग, पढ़ने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, नौकरी के लिए अलग, मकान के लिए अलग, जाति के लिए अलग, विवाह के लिए अलग, श्राद्ध के लिए अलग, प्रमोशन के लिए अलग, रोजगार के लिए अलग और न जाने कितने कार्य के लिए अलग-अलग योजना है पर समस्या का अंत तो दूर उसपर विराम लगता भी नहीं दिखता। आज सरकारी योजना बगैर भ्रष्टाचार के तराजू पर तौले किसी भी ग्राहक (योजना का लाभार्थी) को नहीं मिलता। जब किसी मौत के मुआवजे भी भ्रष्टाचारी मुंह बाये खड़े रहते हैं वैसे में योजना का लाभ कैसे मिल पायेगा? क्या भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भी एक योजना की आवश्यकता है? अगर इस योजना के बगैर भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसा जा सकता तो सरकारी योजना भ्रष्टाचार का ही दूसरा अंग हैं जिसको योजना का नाम दिया जाता है।

''न खाउंगा और न ही खाने दूंगा'' की बात करने वाले नरेन्द्र मोदी जीवन जीने के लिए खाना की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि घूंस नहीं खायेंगे और न ही घूंस खाने देंगे की दुहाई दे रहे हैं। राजनीति में सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की राजनीति सिर्फ नरेन्द्र मोदी ही नहीं करते बल्कि भ्रष्टाचार से 100 फिसदी मुक्ति दिलाने के नाम पर दिल्ली की सत्ता में आयी अरबिन्द केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मिटाना तो दूर फर्जी राशन कार्ड सहित कई मामले में खुद ही फंसती दिख रही है। इस देश में किसी को सबकुछ फ्री में मिल जाता है तो कुछेक सरकार से उम्मीद भी नहीं करते वैसे में फ्री में सभी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभुको के योजनाओं के नाम पर भयंकर लूट मचा हुआ है। योजनाओं में महालूट की कार्य - पद्धति से कोई अछूता नहीं है और कांग्रेस पार्टी के युवा धड़कन दिवंगत राजीव गाँधी ने भी कहा था कि योजना लाभुक तक पहुंचते - पहुंचते 20 प्रतिशत हो जाता है और बिचौलिये 80 प्रतिशत की राशि को डकार जाते हैं। योजनाओं को लूटने वाले मंत्री से लेकर पदाधिकारी तक जेल की हवा खा चुके हैं पर भ्रष्टाचार मुंह बाये सभी विभाग के चोखट पर खड़ी है। मोदी ने योजना बनाम भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए आधार कार्ड से सबकुछ लिंक करवा रहे हैं जिससे नकेल कसने में निश्चित तौर पर सहूलियत मिलेगी पर क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो पायेगा प्रश्न ही लगता है। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आयेगा और वेतन से संतुष्टि नहीं मिलेगी इसी कोढ़ का स्थायी ईलाज संभव नहीं है और कई कानून के बाद भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा है

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्ष:- 07, अंक:- 84 माह:- जून 2018 रू. 10/-

Editor in chief

Brajesh Mishra 09431073769
09955077308
09308727077

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Chief Editorial Advisor

Deepak Mishra 09334096060

Managing Editor

Vishwajit Singh 08860663773

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605,
9122003000

General Manager (Advertisement)

Reeta Singh 09308729879
Poonam Jaiswal 09430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 08873004350
S. N. Giri 09308454485

Asst. Editor

Rampal Prasad Verma 09939086809

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 07762089203

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

Bureau

Sridhar Pandey 09852168763

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड

राजेश मिश्रा 09608645414
08083636668
rajeshmishrarti@gmail.com

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 09433567880
09339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 08109932505,
08269322711

छत्तीसगढ़ हेड

डिगल सिंह 09691153103
08982051378

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 09452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

कमोद कुमार कंचन 07492868363

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

श्रवण कुमार चंचल 08977442750

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०- 09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
सेक्टर- 1, ब्लॉक नं.-22,
फ्लैट नं.-303,
खेलगांव, होटवार, राँची- 834009
मो०- 9955077308, 9431073769

महाराष्ट्र कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 07492868363

आंध्र प्रदेश

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- श्रवण कुमार चंचल
एस के प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज,
प्लॉट संख्या-116, रोड नं.- 25,
आई पी काटेदान,
जिला-रंगारेड्डी, हैदराबाद-500077
मो०- 09700475872, 07842218598

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास, बेलभाँटा,
अभनपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
मो०- 09835845781, 08602674503

आपको केवल सच टाइम्स पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारी सच्चाई है।

हमारा पता है

केवल सच टाइम्स,

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

द्वाराः- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोनः-0612/2332784, 9431073769, 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com,

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

मई 2018

आसाराम

संपादक महोदय,

अमित कुमार की मई 2018 अंक में ''चमत्कारी से बलात्कारी आसाराम'' खबर में बाबा आसाराम का पूरा सच आवाम के बीच रखने का भरपूर साहस किया है। यह खबर बहुत ही बारीकी एवं गंभीरता के साथ लिखी गई है जिसको पढ़कर न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि खबरों की पुष्टि भी होती है। आसाराम के पाप को उजागर करके आपने कई लोगों की जान बचाई है और लगातार आपने इनकी खबरों से पाठकों को जागरूक किया है। आपके पत्रिका का प्रयास सराहनीय है।

● **मनीष वर्णवाल, माटुंगा, मुम्बई**

सोशल मीडिया

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइस का मई 2018 अंक में ''विचारों की सुनामी है सोशल मीडिया'' संपादकीय में आपने वर्तमान, भूत और भविष्य का सार्थक विश्लेषण किया है। आपका संपादकीय मानवों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जानकारी को क्रांतिकारी दृष्टिकोण में बदल देता है। किसी भी विषय को सरलता के साथ आम-आवाम की भाषा में लिखकर उसको उसके साथ घटित हो रही घटना की तरह खबर बना देते हैं जिसकी वजह से उसमें अलग लगाव दिखता है। आलेख के लिए बधाई।

●**राकेश श्रीवास्तव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली**

एजेंडा

संपादक जी,

''वजूद बचाने की कयास में कांग्रेस का संविधान बचाओ एजेंडा'' आलेख में मई 2018 अंक में पत्रकारों ने कांग्रेस की राजनीति पर कारगर आंकलन किया है और उनके अंदर की राजनीतिक छटपटाहट को भी बखूबी अपने आलेख में प्रदर्शित किया है। केवल सच टाइम्स पत्रिका किसी भी राजनीतिक दल का सच सार्वजनिक करने में कोई कोताही नहीं करता और जो जैसा कार्य करता है उसका विश्लेषण उसी अंदाज में किया जाता है। आपकी इसी बेवाकी के कारण देश भर में आपकी पत्रिका की अलग पहचान है।

● **सोनेलाल सहाय, साकची, मुम्बई**

करतूत

मिश्रा जी,

धर्म-अध्यातम के आड़ में साधु-संत ने भारतीय भावना के साथ खिलवाड़ किया है। आसाराम बापू की चरित्र की करतूत एवं भ्रष्टाचार की खबर को बहुत ही बेबाकी के साथ पाठकों के समक्ष रखा है। आसाराम की कोर्ट की सजा और आवाम की सोच को उजागर किया है। धर्म की नगरी में अधर्म करने वाले की जगह जेल में है सरकार ने यह कर दिखाया है और पत्रकार भी ऐसे मामले को गंभीरता के उजागर कर रहे हैं।

● **दिवाकर सेठ, सेक्टर-4, बोकारो**

साक्षात्कार

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका समय के साथ उन युवाओं को प्रमोट करती है जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हैं। मई 2018 अंक में लखीसराय के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा का संक्षिप्त साक्षात्कार मुझे बहुत सटीक लगा। अनुभव प्राप्त करना और लोगों के सहयोग से आवाम को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी का एहसास एसपी कार्तिकेय में दिखता है। मुझे यह अंक में इनका साक्षात्कार सही लगा।

● **शंकर सिंह, हलसी, लखीसराय**

मौनी सरकार

मिश्रा जी,

आपकी पत्रिका केवल सच टाइम्स ने ''मौनी बनी सरकार होता रहा बलात्कार'' की जम्मू-कश्मीर की राजनीति पर सटीक समीक्षा अमित कुमार ने की है और खबर का असर ऐसा रहा कि जम्मू-कश्मीर की मुफ्ती महबूबा की राज्य सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। आपकी पत्रिका की खबर आग की तरह फैलता है और इसकी लपटों से कोई बच नहीं सकता। सच को लिखने की क्षमता के लिए बधाई।

●**प्रदीप सिंह, महेश नगर, नई दिल्ली**

कहानी का अभाव

मिश्रा जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका में कहानी एवं कविता का अभाव दिखता है जिसकी वजह से पाठकों का एक वर्ग इससे अछूता रहता है। मैं इस पत्रिका को नियमित रूप से वेबसाइट पर भी पढ़ता हूं और अंक भी खरीदता हूं। पिछले कई महीनों से कहानी नहीं आ रहा है और कविता को कभी स्थान ही नहीं मिलता। इस आग्रह पर ध्यान देने की कृपा करें।

● **कौशल किशोर, नाला रोड, पटना**

कानूनी सलाह

संपादक जी,

केवल सच टाइम्स के मई अंक 2018 में अधिवक्ता शिवानन्द गिरी ने सही जानकारी अपनी कानूनी सलाह में दी है जिसको पढ़कर न्याय से संबंधित बातों को गंभीरता से समझने का अवसर मिला। आपकी पत्रिका का प्रत्येक अंक का मैं संपादकीय और कानूनी सलाह पढ़ने के लिए खरीदता हूं। शिवानन्द गिरी जी की कानूनी सलाह सरल रहती है।

● **महेन्द्र पाल, लहेरियासराय, दरभंगा**

फिल्म/खेल

मिश्रा जी,

किसी भी मीडिया को चलाने के लिए फिल्म और खेल को फोकस ही नहीं विशेष तौर पर फोकस करना चाहिए ताकि खास लोगों के खास होने का कारण एवं अनुभव से दूसरे को प्रेरणा मिल सके। केवल सच टाइम्स अंक फिल्म और खेल को तव्वजो नहीं देता है, जबकि इसके पाठक का बड़ा वर्ग है। पत्रिका भी रंगीन होना चाहिए की भी कमी खलती है।

● **संजय मौर्य, गोरखपुर, यूपी**

अन्दर के पन्नों में

10

15

24

28

33

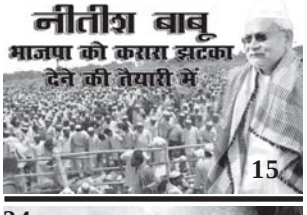

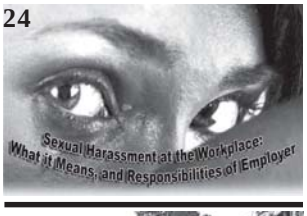

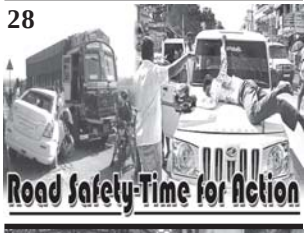

41

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक **'केवल सच'** पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स' द्विभाषीय मासिक पत्रिका
प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

मुख्य संरक्षक के लिए आमंत्रण

मुख्य संरक्षक के लिए आमंत्रण

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

☛ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्याः- 28/14, कंकड़बाग,पटना-800020(बिहार)
e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☛ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☛ सभी पद अवैतनिक हैं।

☛ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☛ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☛ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☛ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☛ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

☛ A/C No. :- 20001817444
BANK :- State Bank Of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AKKPM4905A

एक नजर इधर भी

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

A/C No.	-	**0600010202404**
Bank Name	-	**United Bank of India**
IFSC Code	-	**UTBIOKKB463**
Pan No.	-	**AAAAK9339D**

पटना : चार नदियों का शहर, फिर भी पानी की किल्लत

● ललन कुमार प्रसाद

देश के ऐतिहासिक नगरों में सुमार पटना से चार नदियां गुजरती है-गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन। यह शहर तीन नदियों से घिरा हुआ है-गंगा, सोन और पुनपुन। फिर भी कोई भी नदी पटना के भू-जल स्तर को पर्याप्त रिचार्ज करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ तो रिचार्ज करती ही रहती है। दरअसल बिहार में गंगा के दक्षिण और पुनपुन के उत्तर में स्थित पटना शहर के नीचे सोन नदी की प्राचीण धारा है तथा इसके अधिकांश भूगर्भीय जल-कुण्डों का सम्पर्क सोन नदी ही है। 50 साल पहले गंगा, सोन, पुनपुन और कुछ हद तक गंडक पटना के जल स्त्रोतों का मुख्य खजाना रही है। लेकिन वर्तमान में लगातार सूखने के चलते इन नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है। सोन नदी को खुद ही पानी का इंतजार रहता है। गर्मी आते ही पुनपुन सुख जाती है। 50 साल पहले की तुलना में गंगा में पानी की मात्रा में 84% की कमी हुई है। गंगा में पानी की कमी का सर्वाधिक प्रमुख कारण है उत्तराखण्ड में गंगा पर बना टिहरी बांध। फिर 50-60 के दशक में पटना शहर में तालाबों की संख्या 100 से अधिक थी, जो अब घटकर एक दर्जन से भी कम रह गई हैं। बारिश के समय वे तालाब ही रेनवाटर हार्वेसटिंग का काम करते थें। उन तालाबों में सालो भर पानी जमा रहता था, जो पटना के भू-जल को लगातार रिचार्ज करता रहता था। फिर भी 46 साल पहले 1971 में पटना की आबादी 6.5 लाख थी, जो 2016 में बढ़कर 25 लाख हो गई। अब बढ़ती आबादी के चलते पटना में पानी की मांग 16 गुणा बढ़ गई है। इसलिए पानी की खपत भी कई गुणा बढ़ गई है, जिसकी भरपाई करने के लिए पटना में भू-जल का अंधाधूंध दोहन किया जाने लगा है। लेकिन पटना के भू-जल के बेतहाशा दोहन का कोई हिसाब-किताब नहीं है। इतना ही नहीं, पटना नगर निगम द्वारा प्रदान की गई जड़-जड़, बेहद कमजोर और लचर जलापूर्ति सिस्टम के चलते सप्लाई का ढ़ेर सारा पानी नालों में बहकर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में यदि भू-जल के बेतहाशा दोहन पर कारगर अंकुश अविलंब नहीं लगाया गया तो पटना में कुछ ही वर्षो में पानी की कमी की स्थिति दक्षिण अफ्रिका के केपटाउन के जल संकट का रूप ले सकती है।

★ **चिन्ताजनक है पटना में भू-जल का अंधाधूंध दोहन :-** पटना में धरती की कोख से अंधाधूंध भू-जल का दोहन हो रहा है। शहर में नगर निगम की 117 बोरिंग चल रही है। इनमें से 30 में 100 एच.पी. (हॉर्स पावर) और शेष में से कुछ में 75 हॉर्स पावर और कुछ में 60 हॉर्स पावर के मोटर लगे हैं। 100 एच.पी. का मोटर एक घंटे में 60 हजार गैलन पानी निकालता है, इसलिए 100 एच.पी. क्षमता वाले बोरिंग से 18 लाख गैलन पानी प्रति घंटे निकाला जाता है। 75 तथा 60 एच.पी. वाले बोरिंग से औसतन 48 लाख 75 हजार गैलन पानी प्रति घंटे निकाला जाता है। इस तरह केवल सरकारी बोरिंग से प्रति घंटे 66 लाख 50 हजार गैलन पानी निकाला जाता है। प्रति दिन दो बार सुबह-शाम दो-दो घंटे बोरिंग से पानी निकाला जाता है तो प्रति दिन सरकारी बोरिंग से लगभग एक करोड़ 33 लाख गैलन पानी यानि 46 करोड़ 55 लाख लीटर पानी निकाला जा रहा है। हजारों निजी बोरिंग (प्राईवेट बोरिंग) से प्रतिदिन कितना पानी निकाला जाता है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। शहर के हजारों अपार्टमेंट्स, निजी मकानों और होटलों में निजी बोरिंग के द्वारा रोजाना धरती की कोख से बेतहाशा पानी निकाला जा रहा है। अर्पाटमेंट्स के कुछ फ्लेटों तथा बड़े-बड़े होटलों में सावर के साथ-साथ बाथ टब का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन अपार्टमेंट्स और बड़े-बड़े होटलों में एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ नहाने में दो सौ से चार सौ लीटर पानी बहा दिया जाता है। फिर अपार्टमेंट्स, होटल्स और निजी मकानों में 24 घंटे में कितनी बार बोरिंग से पानी निकाला जाता है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। पहले किसी मोहल्ले में दो-चार कारें हुआ करती थी, अब तो बड़े-बड़े मॉलों, होटलों और अपार्टमेंट्स का बेसमेंट और ग्राउण्ड फ्लोर कारों से पटा रहता है। सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कारों की भरमार रहती है। आज तो आलम यह है कि सड़क के दोनो किनारे कारों से पटे रहते हैं। फिर गलियों में भी कारें लगी रहती है। एक कार को एक बार पाइप से धोने पर 150 लीटर और बाल्टी से धोने पर 20 लीटर पानी खर्च होता है। आप ही अंदाजा लगा लिजिए कि अगर महीने में एक बार में लाखों कारों को धोया जाता है तो कितना पानी खर्च हो जाता होगा? इतना ही नहीं आम जनता को साफ पानी उपलब्ध कराने के कारोबार से जुड़े लोगों द्वारा शहर के एक दर्जन इलाकों में 25

से ज्यादा जगहों पर अवैध वाटर प्लांट चलाया जा रहा है। वैसे तो एक व्यस्क व्यक्ति औसतन 80 लीटर पानी खर्च करता है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि पटना शहर में ध रती की कोख से प्रतिदिन लगभग 35 करोड़ लीटर पानी निकाला जाता होगा।

★ तालाबों की बदौलत ज्यों का त्यों बना रहता था पटना का भू-जल स्तर :- 50-60 के दशक में पटना शहर में तालाबों की संख्या 100 से अधिक थी। बारिश के समय वे तालाब ही रेन वाटर हार्वेसटिंग का काम करते थें। 1958 में कंकड़बाग कॉलोनी नहीं बनी थी, 1994 में तालाबों की संख्या घटकर 78 रह गई। अब तो एक दर्जन से भी कम है। राजेन्द्र नगर, वैशाली सिनेमा के पीछे एक बहुत बड़ा झील हुआ करता था। स्टेशन रोड स्थित महालेखागार भवन से सटे एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। वर्तमान में पटना सिटी का मंगल तालाब शहर का सबसे बड़ा तालाब है। इसके आलावा अनिशाबाद मानिक चंद तालाब, गर्दनीबाग में कच्ची तालाब, पटना म्यूजीयम के पीछे आर्ट कॉलेज के पूरब में मछली पालन हेतु सरकारी तालाब सहित चार-छः तालाब ही बचे हैं। लगभग 350 एकड़ तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। तालाबों को पाटकर सरकार की ओर से अधिक निर्माण किए जा चुके हैं। गांधी मैदान के पूरब-दक्षिण की छोर पर आज का नेताजी सुभाष पार्क पहले एक बड़ा तालाब हुआ करता था, जिसमें मछली पालन होता था। गांधी मैदान के पूरब में एलीफिस्टन सिनेमा और पेट्रोल पंप के बीच में एक छोटा सा तालाब था, जहां आज का शहीद भगत सिंह पार्क है। वर्तमान में मीठापुर बस स्टैण्ड, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी सहित ढ़ेर सारे संस्थान तालाबों को पाटकर बना दिए गए हैं।

50-60 के दशक में कंकड़बाग को लोग 900 बीघा जमीन के नाम से पुकारते थें, जहां खेती-बाड़ी होती थी। शहर का लो लैण्ड एरिया राजेन्द्र नगर से सैदपुर तक का ज्यादातर हिस्स बरसात में डूबा रहता था। सैदपुर स्थित पटना विश्वविद्यालय के छः बड़े-बड़े हॉस्टल ऑर टीचर्स क्वाटर के पूरब से लेकर महात्मा गांधी सेतु तक काफी लंबा-चौड़ा बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें बड़े पैमाने पर सिंघाड़े की खेती होती थी। इसकी खेती तालाबों में की जाती है। वहां सालो भर पानी का जमाव रहता था। गर्मी के मौसम में भी सूखता नहीं था और उसे जल्ला इलाका कहा जाता था। वर्तमान में मीठापुर बस स्टैण्ड, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी से लेकर जहां अन्य शिक्षण संस्थान बना दिए गए हैं। यह जल्ला इलाका बहुत बड़ा तालाब था। वहां सैकड़ों एकड़ में पानी का जमाव सालो भर रहता था। गर्मी के मौसम में भी सूखता नहीं था, जिससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। इन तालाबों के चलते शहर में जल-जमाव की समस्या नहीं होती थी। बारिस का पानी इन्ही तालाबों में जमा होता था,

जिससे भू-जल निरंतर रिर्चाज होता रहता था। नतीजा भू-जल का स्तर ज्यों का त्यों बना रहता था। सिर्फ दो मौके को छोड़कर-पहला अगस्त 1967 का समय। जब शहर में बाढ़ में राजेन्द्र नगर से लेकर आर्य कुमार रोड तक लगभग डूब सा गया था। नावें चलती थी। दूसरा जुलाई 1975 का समय जब शहर में आयी बाढ़ में राजेन्द्र नगर में नावें चलती थी। बाढ़ में गांधी मैदान पूरी तरह डूब गया था। छज्जू बाग स्थित रेडियो स्टेशन का प्रसारण कुछ दिनों के लिए फतुहा से किया जाने लगा था। शहर में आयी दोनो बाढ़ों का कारण पुनपुन नदी में बाढ़ का आना था। उसके बाद गौरीचक से सटे पूरब में उत्तर से दक्षिण तक बिहार सरकार

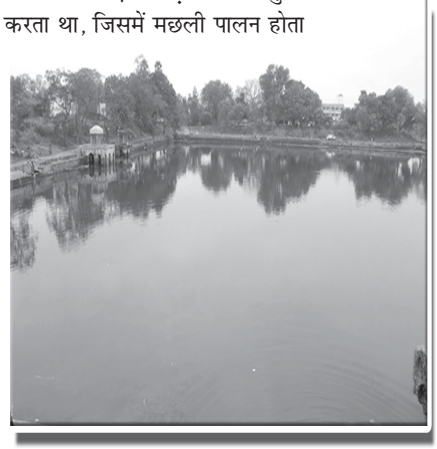

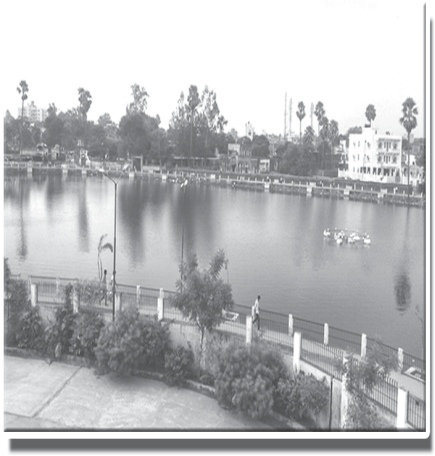

द्वारा बहुत लंबा बांध बनवा दिया गया। जिससे कि पुनपुन में आने वाली बाढ़ से पटना शहर को बचाया जा सके। इतना ही नहीं बरसात में शहर की सड़के और गलियां पानी में नहीं डूबती थी, क्योंकि बारिस का पानी बहकर तालाबों में चला जाता था।

★ नालियों में बह जाता है सप्लाई का 12-13 प्रतिशत पानी :- सप्लाई के पानी का भारी मात्रा में बर्बादी का कारण है नगर निगम द्वारा प्रदान की गई बेहद कमजोर और लचर जलापूर्ति सिस्टम। जिस सिस्टम जलापूर्ति होती है, लोहे का वह पाईप लाईन आजादी के पांच साल बाद 1952 में बिछी थी, तब से आबादी लगभग चार गुणा बढ़ गई है। लेकिन पाईप लाईन का दायरा नहीं बढ़ा है। पीएमसीएच में 1960 में एक लाख लीटर क्षमता का पानी की टंकी का निर्माण किया गया था। उस दौरान पीएमसीएच में वाटर सप्लाई के लिए पाईप लाईन भी बिछाया गया था। लेकिन 2015 तक पीएमसीएच में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या कई गुणा बढ़ गई। पानी की मांग कई गुणा बढ़ने पर उसी साल यानि 2015 में एक लाख लीटर क्षमता की दूसरी टंकी का निर्माण किया गया। नई टंकी द्वारा पानी सप्लाई भी उन्ही 55 साल पुराने पाईपलाईन से किया जाने लगा, जो कई जगहों पर जंक लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। नतीजा पूरे पटना शहर में पटना नगर निगम द्वारा बिछायी गयी पाइप लाईन में जगह-जगह लिकेज आम बात हो गई है। यह पटना नगर निगम के विगत कुछ दशकों के घोर लापरवाही का नतीजा है। विगत कई दशकों से वाटर सप्लाई पाईप लाईन के रख-रखाव (मेंटनेन्स) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नतीजा जंक लगने के कारण लोहे की जर्जर व कमजोर हो चुकी पाइप

लाईन कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में सप्लाई का लगभग 12-13 प्रतिशत पानी सड़क पर पसर जाता है और नालों में बह जाता है। जर्जर हो चुकी पाइप लाइन दर्जनों जगहों पर जाम हो चुकी है, तो दर्जनों जगहों पर मिसिंग लिंक का शिकार बन चुकी है। यही कारण है कि पटना शहर के कई मोहल्लों में पानी का सप्लाई लेवल ठीक नहीं है तो कई मोहल्लों में बहुत ही कम है।

इतना कम की लोगों को पानी के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़ा रहकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। सच पूछिए तो इसकी असली वजह सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का निठल्लापन है। दरअसल में सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक नहीं मालिक बन बैठे हैं। जनता के पैसों पर पलने वाले ज्यादातर अधिकारियों व कर्मचारियों से जनता बुरी तरह त्रस्त है।

मैले पानी के निकासी के पाईप लाईन और साफ पानी के आपूर्ति करने वाले पाईप लाईन ज्यादातर जगहों पर जमीन के अंदर बहुत पास-पास बिछे हुए हैं, जिसके चलते सिवरेज के पाईप लाईन से निकला गंदा पानी जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई वाटर सप्लाई पाईप लाईन में प्रविष्ट कर पीने के साफ पानी को इतना अधिक प्रदूषित कर देता है कि वाटर सप्लाई चालू होने के बाद पहले आधे घंटे तक उससे दुर्गंध आती है। नतीजा आज पटना शहर के किसी भी मोहल्ले में नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला साफ पानी पीने के लायक नहीं रह गया है। नतीजा अधिकतर घरों के लोग सुबह-शाम लंबी-लंबी कतारों में खड़ा रहकर घंटों इंतजार के बाद प्राप्त पानी का उपयोग बर्तन धोने, कपड़ा धोने आदि में करते हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई लाईन से प्राप्त पानी इतना दूषित होता है कि उससे दुर्गंध आती है। इसलिए अधिकतर घरों, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों आदि में पीने का पानी खरीदा जाता है या जल शेधक मशीने लगाकर शुद्ध किया जाता है।

पटना शहर के मोहल्लों की ढ़ेर सारी पतली-पतली गलियों में रहने वाले लोग आए दिन अपनी सुविधा के अनुसार गलि की सड़कों को काटकर वाटर सप्लाई पाईप लाईन का छेदा बड़ा कराके उसमें मोटा पाईप लगवा देते हैं, जिससे की उन्हें सप्लाई का पानी उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके। लेकिन जब अवैध तरीके से ऐसा कराया जाता है तो सिवरेज का ढ़ेर सारा गंदा पानी साफ पानी आपूर्ति करने वाले पाईप में मिल जाता है, जिससे की सप्लाई किए जाने वाला साफ पानी दूषित हो जाता है। ऐसा नगर निगम में कार्यरत्त कर्मियों की मिलीभगत के चलते ही संभव हो पाता है। फिर जल्दी-जल्दी, चोरी-छूपे इस कार्य का अंजाम तक पहुंचाने के दौरान मुख्य पाईप लाईन इस तरह से जोड़ी गई पाईप से अच्छी तरह से सील नहीं होने के कारण इन जगहों पर सप्लाई का साफ पानी लगातार दूषित होता रहता है। सरकार को इस भ्रष्ट कार्य पर सख्ती से रोक लगा देनी चाहिए।

★ देश में प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता :- वर्ल्ड बैंक रिर्सोस मिनिस्ट्री के अनुसार 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 6043 घन मीटर थी जो अनवरत बढ़ती

आबादी के साथ घटते हुए 1951 में 5410 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, 1991 में 2301 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, 2001 में 1902 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, 2010 में 1608 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, और 2016 में जब हमारे देश की आबादी 120 करोड़ हो गई तो पानी की उपलब्धता घटकर 1545 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष रह गई। अर्थात आजादी के बाद के 69 वर्षों में पानी की उपलब्धता में 75 प्रतिशत की कमी हो गई। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि आबादी के वृद्धि के साथ-साथ पानी की खपत हर साल बढ़ रही है। पिछली एक सदी में पानी की खपत छः गुणा बढ़ी है।

यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1700 घन मीटर पानी की उपलब्धता को जल संकट माना गया है। केन्द्रीय भू-जल आयोग (सीडब्लूसी) के अनुसार 2050 में देश में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1140 घन मीटर रह जायेगी। वैसे तो आमतौर पर एक व्यस्क रोजाना 2.5 से 4.0 लीटर पानी पीता है। लेकिन भोजन पैदा करने के लिए प्रति व्यक्ति 2000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए कि घरेलू, कृषि और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है।

दरअसल भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सारी दुनियां के लोग पीने के शुद्ध पानी के बाद सर्वाधिक ध्यान भोजन की उपलब्धता पर लगा रहता है। भले ही आप विश्वास करे या ना करे किन्तु यह सच है कि एक किलोग्राम चावल के उत्पादन में 2400 लीटर और एक किलोग्राम गेंहू के उत्पादन में 600 लीटर पानी लग जाता है। आप देखते ही है, धान की रोपनी के समय खेतों में जमीन के ऊपर आधा से एक फूट तक पानी जमा रहता है। एक किलोग्राम चीनी प्राप्त करने के लिए खेतों में गन्ना उगाने से लेकर चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन करने तक 2000 लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। एक लीटर दूध के लिए 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। उद्योगों के लिए भी जल बेहद जरूरी है, जो कि समाज और देश की समृद्धि का बहुत ही मजबूत स्तम्भ है। मिशाल के रूप में पेपर को ही ले लिजिए। इसका उपयोग छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बुढ़े सभी विभिन्न रूपों में दिन-रात करते रहते हैं और जिसका उपयोग किताबों, अखबारों, पत्रिकाओं आदि को छापने के लिए किया जाता है। एक टन पेपर के उत्पादन में 40 टन पानी खर्च हो जाता है। कॉटन शर्ट तैयार करने में 2600 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। एक जोड़ी जिन्स तैयार करने में 6800 लीटर पानी लग जाता है। एक टन सीमेंट के उत्पादन में 5200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। एक टन स्टील के उत्पादन में 2350 लीटर पानी की खपत होती है। एक कार के उत्पादन में 148000 लीटर पानी लग जाता है। इतना पानी तो एक छोटे से स्वीमिंग पुल को भरने में लग जाता है। हर व्यस्क व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 80 लीटर पानी खर्च करता है। नहाने में 20 लीटर, कपड़ा धोने में 10 लीटर, शौच करने, ब्रस करने और सेभिंग करने में 15 लीटर, साफ-सफाई में 15 लीटर और पीने में 4 लीटर। छोटे बच्चे से लेकर बड़े-बुढ़े तक कुल 5 व्यक्ति के हर परिवार में खाना पकाने, पानी पीने और नहाने-धुलने में औसतन 250 लीटर पानी की खपत होती है। बड़ों की तुलना में बच्चों पर पानी की खपत बहुत कम होती है।

★ पटना शहर में पानी की उपलब्धता :- 46 साल पहले 1971 में जब पटना की आबादी 6.5 लाख थी तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 5000 घन मीटर थी। जब शहर की आबादी 2016 में बढ़कर 25 लाख हो गई तो पानी की उपलब्धता घटकर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2000 घन मीटर रह गई। अनवरत बढ़ती आबादी के चलते अब 2018 में पानी की मांग 16 गुणा बढ़ गई है।

★ पटना शहर में भू-जल की उपलब्धता :- पटना शहर में तीन स्तरों पर भू-जल उपलब्ध है। इनमें ऊपरी सतह की गहराई 30 से 60 मीटर यानि 100 से 200 फीट है।

The sewage treatment plant at Anta Ghat

Sewage water flows into the Ganga at Anta Ghat

Garbage dumped at Anta Ghat.

The sewage treatment plant at Bans Ghat

Garbage at Bans Ghat.

सामान्यतया बोरिंग और हैण्डपम्प इसी लेयर पर लगाये जाते हैं। गर्मी के दिनों में 100 फीट से 120 फीट की गहराई से जुड़े बोरिंग और हैण्डपम्प सूख जाते हैं। इस लेयर के पानी का घटना-बढ़ना वर्षा के पानी पर निर्भर करता है। शहर में शुद्ध भू-जल का स्तर करीब 140 से 160 तक की गहराई में पहुंच गया। इसके बाद पानी का बीच वाला लेयर 60 से 120 मीटर यानि 200 से 400 फीट की गहराई तक है, जो सूखता नहीं है। लेकिन गर्मी के मौसम में इस लेयर से पानी के दोहन की क्षमता में कमी आ जाती है। निचले लेयर की गहराई 120 से 220 मीटर है यानि 400 से 700 फीट। जिसमें सामान्यत: हमेशा पानी बना ही रहता है। लेकिन इतनी गहराई तक बोरिंग कराना समान्य बजट की बात नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पटना का भू-जल काफी बेहतर है। किन्तु हर साल पांच प्रतिशत की दर से भू-जन का दोहन बढ़ रहा है। इसलिए शहर के भू-जल स्तर में काफी गिरावट आ गई है। 2005-06 में पटना में 25 फीट की गहराई में पानी मिल जाता था। 2017 में 80 फीट तक बोरिंग कराने के बाद ही जल की धार मिलती थी। इस साल यानि 2018 में भू-जल का स्तर 85 से 90 फीट गहराई में पहुंच गया है। 2005-06 में कुओं में पानी 25-30 फीट की गहराई में उपलब्ध हो जाता था, अब 200 फीट नीचे जा चुका है। लोकसभा में स्वीकारा गया है कि देश की 175 नदियों में पानी तेजी से सूख रहा है।

पटना शहर में भू-जल का स्तर लगातार तेजी से गिरते जाना चिंता का सबब बन गया है। पांच-छ: साल पहले यानि 2012-13 की बात करे तो शहर में करीब 150 से अधिक सरकारी हैण्डपम्प लगे हुए थे, लेकिन भू-जल का स्तर गिरने से लगभग सभी हैण्डपम्पों का पानी सूख गया है। कार्यालयों में आर.ओ. लगे हुए हैं। इसी का पानी पीकर कार्यालयों में कार्यरत्त लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। आम जनता को पीने का पानी मयस्सर नहीं हो रहा है। मसलन पटना शहर का अतिमहत्वपूर्ण स्थान आयुक्त कार्यालय को ही ले लिजिए। भवन तो आलिशान है, लेकिन भवन के परिसर के अंदर एक भी हैण्डपम्प दिखाई नहीं देता है। नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाला एक भी नल खुले में कही भी दिखाई नहीं पड़ता है। आम जनता को प्यास बुझाने के लिए पानी प्राप्त करने हेतु 20 से 25 रूपये प्रति बोतल खर्च करना पड़ता है, जिसकी क्षमता एक लीटर होती है।

★ कैसे होगा पटनावासियों के जल संकट का निदान :- दरअसल हम बचपन से ही पानी को मुफ्त की वस्तु और अथाह समझते हैं, इसलिए हम जीभरके इसका इस्तेमाल करते हैं और बर्बाद भी करते हैं। आज हालात यह है कि बहुत ही थोड़े लोग पानी का सदुपयोग करते हैं और बहुत ही ज्यादा लोग इसे मुफ्त व अथाह समझकर इसका दुरूपयोग करते हैं। पानी के संरक्षण को महत्व नहीं देते हैं। अर्थात खुद ही अपनी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें यहां नहीं भूलना चाहिए कि कभी न कभी कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। यदि हम अविलंब नहीं सुधरे तो एक दिन हमारे लिए पानी का भी यही हश्र होगा।

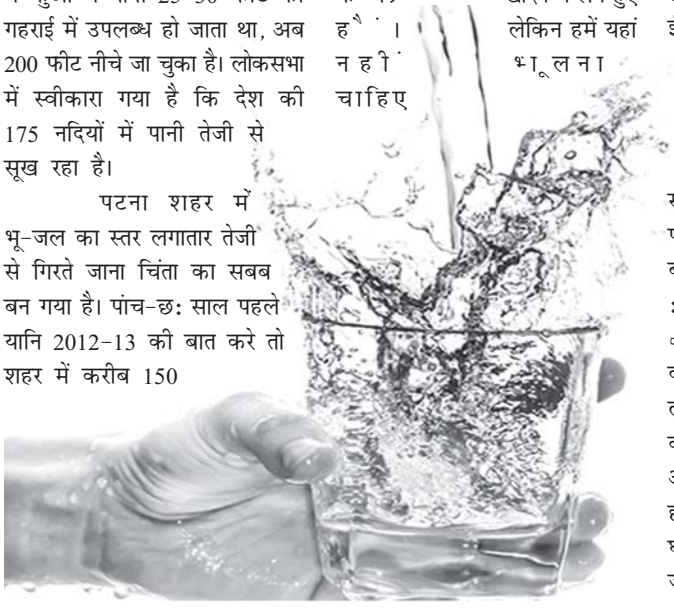

धरती, जल के अस्तित्व से जुड़ी है और जल, धरती के अस्तित्व से। फिर भी पटनावासी सहित सारी दुनियां के लोग जल के संकट की समस्या से जुझ रहे हैं, यह कैसे हुआ? इसके लिए जिम्मेदार खुद पटनावासी हैं। ऐसा इसलिए की यह प्रकृति प्रदत्त अनमोल उपहार है। लेकिन इसी जल का हम कद्र नहीं कर रहे हैं, बेदर्दी से बर्बाद कर रहे हैं। भू-जल का बेतहाशा दोहन कर रहे हैं। तालाबों का पाटकर खत्म कर रहे है और जल को दूषित कर रहे हैं। अगर पटनावासियों को मालूम है कि जल उसके लिए संजिवनी है तो वे मन, क्रम और वचन से उसका रक्षण और संरक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों जल स्त्रोतों को खत्म करने पर तुले हुए हैं? क्यों इस बात से अंजान हैं कि आज जल संरक्षण दुनियां का सबसे बड़ा मुद्दा है।

क्या हमारी हर समस्या का निदान केवल सरकार ही करेगी, तो हम आम जनता क्या करेंगे? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है! हम क्यों नहीं समझते हैं कि जल संकट की समस्या का निदान तभी होगा, जब सरकार और आम जनता दोनो ही अपनी-अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभायेंगे। यदि जनता अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने लगेगी तो सरकार को बाध्य होकर अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना होगा। इसलिए व्यापक स्तर पर हमें अपनी सोच में आमूल परिवर्तन लानी होगी। हमें निम्नलिखित बातों को अंजाम तक पहुंचाना होगा :-

☞ सरकार को भू-जल के अवैध दोहन पर अविलंब कारगर अंकुश लगाना होगा। इसके लिए सरकार को घरों, अपार्टमेंट्स, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, होटलों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस अड्डों, डाक घरों, कार्यालयों आदि जगहों में जलापूर्ति हेतु मीटर अविलंब लगवाने होगे। मीटर रिडिंग पूरी मुस्तैदी से करारी होगी। त्रुटिपूर्ण मिटरों को बिना किसी विलंब के बदलना होगा। पानी के अवैध कनेक्शनों की पहचान कराकर उन्हें वैध करने होंगे अथवा कटवाने होंगे। जिससे की भू-जल के अंधाधूंध दोहन पर रोक लग जाए। ऐसा कराने पर भू-जल का स्तर और नीचे गिरने से रोका जा सकेगा तथा सरकार को अच्छा-खासा राजस्व भी मिलना लगेगा। सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर अधिक से अधिक संख्या में तालाबों को निर्माण युद्ध स्तर पर कराना होगा। जिससे कि पटना के भू-जल को स्वत: ही रिचार्ज करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। साथ ही बारिश के दिनों में पटना की सड़कें और गलियां पानी में डूबने से बच जायेगी।

☞ नगर निगम द्वारा वाटर सप्लाई के लिए बिछाए गए जड़जड़ और क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों को जरूरत के हिसाब से बदलकर अथवा मरम्मत कराकर पाईप लाईन के लिकेज को ठीक करना होगा। साथ ही बोरिंग की बढ़ी हुई संख्या के मुताबिक वाटर सप्लाई करने वाली पाईप लाईनों का विस्तार करना होगा। जिससे की बिछायी गयी पाईप लाइनों को उसमें बढ़ते हुए पानी के अतिरिक्त दबाव से बचाया जा सकेगा ऐसा कराया जाने पर क्षतिग्रस्त वाटर सप्लाई पाईप लाईनों से पानी लिकेज द्वारा बर्बाद हो जाती है, वह रूक जायेगी।

☞ बढ़ती आबादी पर कारगर अंकुश लगानी होगी। क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ पानी की खपत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है।

☞ जनता के बीच व्याप्त इस भ्रम को दूर करना होगा कि पानी मुफ्त की वस्तु है और अथाह है। दरअसल पानी अनमोल है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। जिससे की जनता द्वारा पानी को बर्बाद करने की प्रवृति पर अंकुश लग सके। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :- www.psfsm.in

नीतीश बाबू

भाजपा को करारा झटका देने की तैयारी में

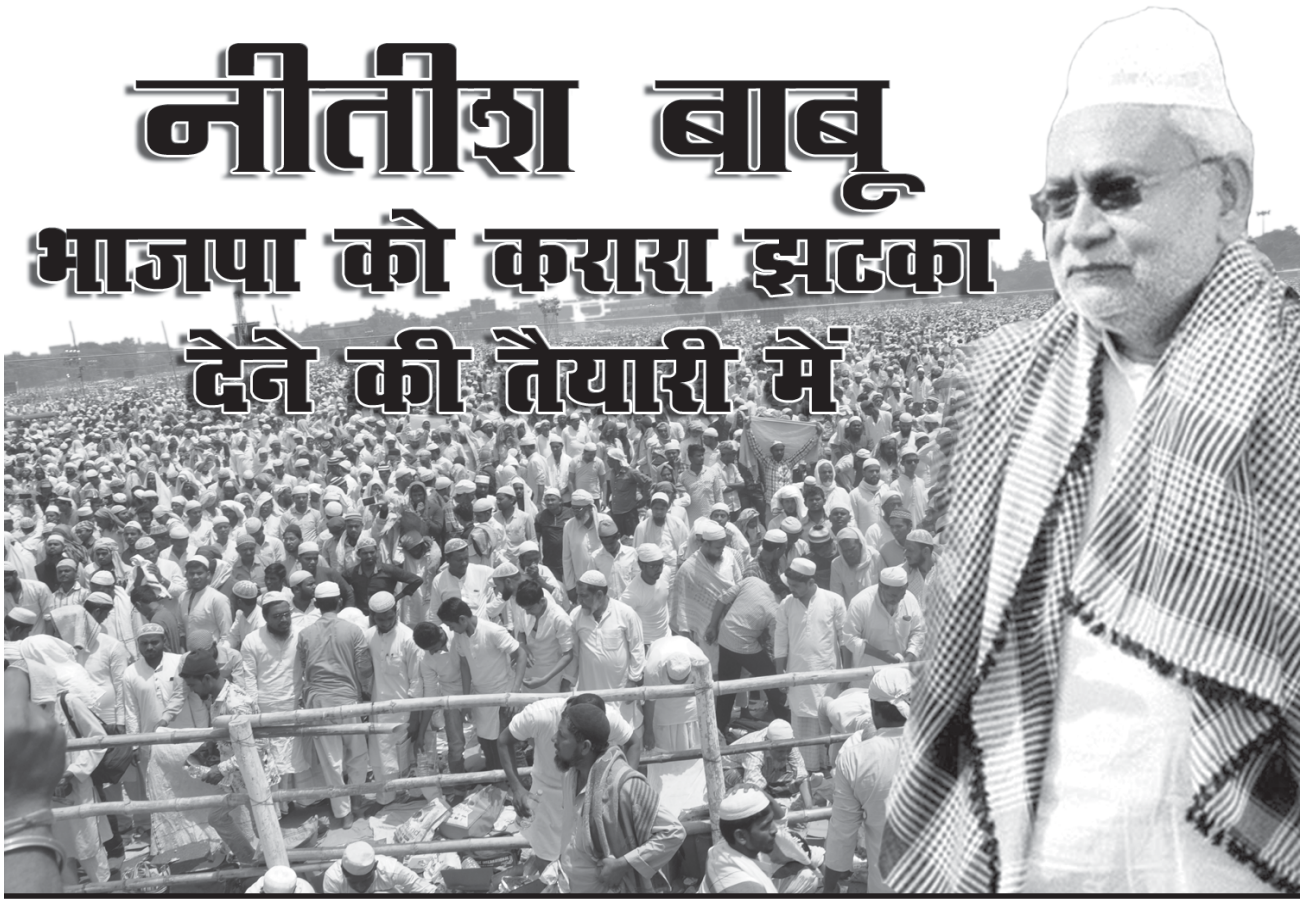

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार में जनता दल यू और भाजपा गठबंधन अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा से संबंध विच्छेदन करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब इसकी केवल औपचारिक घोषणा होना ही बाकि है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए का कुनबा से बिखर रहा है।

जानकार सूत्रों के अनुसार देश में गैर भाजपाई पार्टियों का जो महागठबंधन बन रहा है, उसमें शामिल होने की तैयारी में सुशासन बाबू हैं। उन्हें यह महसूस हो रह है कि 2019 में मोदी का सत्ता में आने की संभावना दिन प्रतिदिन तेजी से घट रही है। इसलिए अगर गैर भाजपाई दल आंत्रिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाते हैं तो उनके लिए दिल्ली का तख्त पर कब्जा करना मुश्किल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के मत बटोरने के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। भाजपा और मोदी से उनका मोह मंत्रीमंडल के विस्तार में उनकी पार्टी के कुछ सांसदों का मंत्री पद से नवाजा जाएगा। मगर मोदी ने उन्हें चारा नहीं डाला। इस तरह से रामविलास पासवान और उपेन्द्र कुशवाहा भी मोदी से नाराज चले आ रहे हैं। इस तथ्य को कौन नहीं जानता की नीतीश कुमार के लिए सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की कभी कोई कीमत नहीं रही है। भले ही वह अपने महत्वकांक्षाओं को बिहार के हित को लेकर ले किन्तु उनका एकमात्र लक्ष्य किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहना है। एक दशक तक नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन करके खूब सत्ता की मलाई बांटी। केन्द्र में रेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद को भाजपा के मदद से सुशोभित किया। मगर 2013 में जैसे ही नरेन्द्र मोदी को भाजपा

के भावी प्रधानमंत्री के रूप में जनता के सामने पेश करने का फैसला किया, सुशासन बाबू ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। उन्हें भाजपा घोर साम्प्रदायिक पार्टी दिखायी देने लगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने की आड़ में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली कर डाली। इसके बाद उन्होंने भाजपा से संबंध विच्छेद की घोषणा कर दी और अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करने का प्रयास शुरू कर दिया। दलितों का वोट बंटोरने के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा दिया। 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को करारी हार दी। उनकी सफलता का मूल कारण यह था कि वह भाजपा विरोधी मतों को रोकने में सफल रहे। भाजपा ने वोट कटवा के रूप में असदुद्दीन ओवैसी और मुलायम सिंह यादव जैसे कई शिखंडी मैदान

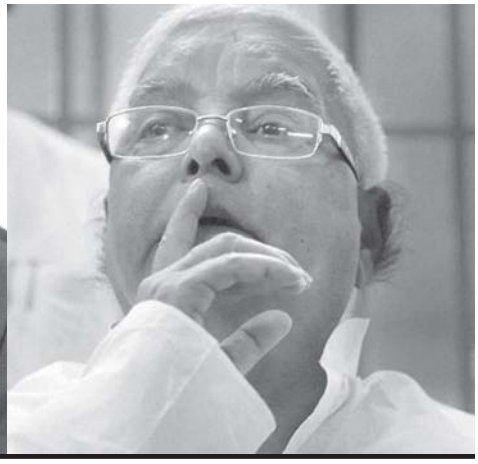

में उतारे थे, मगर नीतीश कुमार यह प्रचार कारगर सिद्ध हुआ कि इन शिखंडियों के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर पुनर्विचार जो संकेत दिया था, वह भी लालू प्रसाद यादव के लिए वरदान सिद्ध हुआ। जनता में दुष्प्रचार किया गया कि अगर भाजपा सत्ता में आयी तो वह आरक्षण खत्म कर देगी। इसमें दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों ने जमकर वोट दिया। जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान औ उपेन्द्र कुशवाहा का जादू न चल सका।

लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन अधिक दिनों तक चल नहीं सका, इसका मूल कारण यह था कि नीतीश कुमार ने यह महसूस किया कि लालू यादव उनका वोट काट रहे हैं, इसके अतिरिक्त लालू यादव के समर्थकों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, जिसके कारण सुशासन बाबू को चिंता सताने लगी कि उनकी स्वच्छ छवि जनता के नजर में धूमिल हो जाएगी। दोनो नेताओं के बीच बढ़ते हुए मतभेदों का लाभ भाजपा और नरेन्द्र मोदी ने उठाया। सुशासन बाबू ने लालू प्रसाद यादव का हाथ झटकारकर भाजपा का हाथ थाम लिया और भाजपा की वजह से वह बिहार के छठी बार मुख्यमंत्री बन गये और मजेदार बात यह है कि दिल्ली के आशिर्वाद से वह राज्य विधानसभा में विश्वास मत भी जीत गये। इसके बाद विपक्ष ने नीतीश कुमार को नरेन्द्र मोदी का मुखौटा जनता के बीच बताया, जिससे खासकर मुस्लिम वर्ग से नीतीश कुमार का मोहभंग तेजी से घटते दिखा। नीतीश कुमार को यह खतरा है कि मुस्लिम मतदाता उनके प्रतिद्वंदी लालू यादव के खेमे में चले गए तो उनके लिए पुनः सत्ता

में आना संभव नहीं होगा। हवा के रूख को देखते हुए उन्होंने गैर कांग्रेसी गठबंधन की तैयारियों में गुप्त रूप से भाग लेना तेज कर दिया है। गैर कांग्रेसी महागठबंधन को ठोस रूप देने में कुछ पुराने कांग्रेसी नेता इन दिनो सक्रिय है। हाल ही में 'पटना में दीन बचाओ, देश बचाओ' जो रैली हुई थी, उसे पटना के इतिहास में रिकॉर्ड 07-2018 गृ.आ. द्वारा 40 लाख रूपये की धन राशि इस रैली के लिए दिए जाने की पुष्टि की है। इस बात से कोई व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता कि इस रैली से पूर्व राज्य भर के प्रत्येक गांव और कस्बे बिहार सरकार की ओर से बड़े-बड़े होडिंग लगाया गया।

जिस पर इस बात का धूंआधार प्रचार किय गया कि नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनायी गयी है और उन पर कितनी धन राशि खर्च के संदर्भ में अनेक प्रकाशित करवाये गए। साफ है कि इस अभियान का एकमात्र लक्ष्य मुस्लिम मतदाताओं को नीतीश कुमार की ओर आकर्षित करता था। इस रैली के आयोजकों और नीतीश कुमारा के गुप्त गठजोड़ का पर्दा भी फौरन फास हो गया। जबकि इस रैली के संचालक एवं पूर्व सांसद खालिद अनवर को इस रैली के समाप्त होने के कुछ ही क्षण बाद बिहार विधान परिषद की सदस्यता उपहार के रूप में दे दी गई। इस संदर्भ खास बात यह भी है कि बिहार के खजाना मंत्री के नेता हैं। क्या उनकी मर्जी के बिना इतनी बड़ी धनराशि राज्य के खजाने से रैली के लिए दी जा सकती है? उस रैली में भाजपा और मोदी को पानी पी पीकर कोसा गया।

इस बात से कौन बाकिफ नहीं है कि मौलाना वली रहमानी पुराने सिक्काबंद कांग्रेसी हैं। वह कांग्रेस के टिकट पर कई वर्ष दशक तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त वह इमारत-ए-शरिया के अमीर भी हैं। इन नाते उनका सिक्का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आने वाले चुनावों में मुस्लिम मत बंटोरने और उनका समर्थन पाने के लिए बेकरार हैं। यही कारण है कि मौलाना नोमानी कांग्रेस के इशारे पर महागठबंधन रचने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।●

दलितों का हितैशी कौन, गांधी क्यों रो पड़े

समुचा हिन्दुस्तान किचड़ का तालाब है : राम मनोहर लोहिया

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

श्याम रजक

भारत की आजादी के पूर्व ब्रिटेन के बिस्टन चर्चिल ने कहा था कि, भारत अभी आजादी के काबिल नहीं हैं। उसने इस बात कि संभावना व्यक्त की थी की आजादी के बाद इस देश के नेता बेईमान, कमीशनखोर और जनता को लूटने वाले डाकू हो जायेगें। हत्यारे, अपहरणकर्ता, गवनकर्ता आदि मिलकर कानून बनाएंगे तथा वही सब लोग देश को चलाएगें। सरकारी भवन, पुल सड़क आदि को भी ठेकेदार निर्माण करेंगे, ठेकेदार द्वारा निर्मित भवन, पुल आदि निर्माण काल में ही ध्वस्त हो जाएंगें आजादी के पहले ठेकेदार प्रथा नहीं था। आज जितना चौकीदार से अपराधी भय खाती हैं उतना भय पुलिस के बड़े–बड़े अधिकारियों से भी नहीं होगा। नैतिकता का पाठ सभी अनैतिक लोग सिखलाएंगे?

उस समय चर्चिल के शब्दों पर लोगों को काफी गुस्सा आया था, परन्तु आजादी के बाद जैसे–जैसे वर्ष बीतते गए तथा अंग्रेजों के जमाने के संघर्शशील नेता– महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, आदि स्वर्ग सिधारते गयें वैसे–वैसे चर्चिल के शब्द अक्षरशः सच साबित होते गए। आजादी के बाद देश की राजनीति से नीति गायब हो गयी तथा सिर्फ राज रह गया? गांधी 32 सालों तक अंग्रेजों से लड़ते रहे तथा आजाद हिन्दुस्तान में वह सिर्फ साढ़ें पाँच महिने (269 दिन) जिंदा रह पाये। आजाद भारत में इनते कम समय में ही गांधी को दो बार आमरण अनशन करना पड़ा था। सच तो यह है कि 'राष्ट्रपिता' आजाद भारत में अपने आपको निहायत बेबस और बेगाना महसूस करने लगे थे। दिनों–दिन उनके दुःख बढ़ते और गहराते जा रहे थ। गांधी ने अपने एक प्रार्थना–सभा में कहा था कि हिन्दुस्तान में कौन–सी ऐसी चीज हो रही है, जिससे मुझे खुशी हो सके?

गांधी के जीते जी उनकी केवल एक साल गिरह हिन्दुस्तान में पड़ी 02 अक्टूबर 1947 को एक प्रार्थना सभा में गांधी ने कहा मेरे लिए तो आज यह मातम मनाने का दिन है, मैं आज तक जिंदा पड़ा हूँ। मुझे इस पर स्वयं आश्चर्य होता है। मुझे शर्म आती है, कि मैं वहीं शख्स हूँ जिसकी जुबान से एक चीज निकलती थी कि ऐसा

करो तो करोड़ों लोग मानते थे, पर आज तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है, ऐसी हालत में हिन्दुस्तान में मेरे लिए जगह कहां है। एक दिन तो प्रार्थना सभा में आये लोगों के सामने डबडबायी आंखों से फूट पड़े और यहां तक कह बैठे कि मेरे लिए प्रार्थना करे कि गांधी को जल्दी मौत जा जाये।

महात्मा गांधी ने दुनिया को सात खतरों से सावधान किया था, (1) सिद्धान्त विहीन राजनीति, (2) श्रमहीन सम्पति, (3) विवेकहीन सुख, (4) चरित्रहीन ज्ञान, (5) दयाहीन विज्ञान, (6) नीतिहीन व्यापार, (7) त्यागहीन पुजा का कोई महत्व नहीं है। क्या आज के नेता गांधी के सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारने की स्थिति में हैं। शायद ही कोई नेता बाहर और भीतर से एक जैसा आचरण रखता हो। राममनोहर लोहिया ने कहा था कि हिन्दुस्तान की गाड़ी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, किसी गड्ढ़े की तरफ या कियी चट्टान से चकनाचूर होने। इस गाड़ी को चलाने की जिन पर जिम्मेवारी है, वह अपने स्थान पर नहीं है। गाड़ी अपने–आप बढ़ती जा रही है। इसके बारे में मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि चिल्लाऊं और कहूं कि रोको। उन्होनें कहा कि, समूचा हिन्दुस्तान कीचड़ का तालाब है। कहीं–कहीं कमल के फूल उग आए है, कुछ जगहों पर अय्याशी के आधुनिकतम तरीके के सचिवालय, हवाई अड्डे, होटल, सिनेमा घर महल सजाए गए हैं। जिसका इस्तेमाल उसी तरह के बन–ठने लोग करते है। लेकिन कुल आबादी के एक हजारवें हिस्से से भी उसका कोई सरोकार नहीं है। लोहिया ने यहॉ तक कह दिया था कि हिन्दुस्तान के दबे–कुचले लोगों को तिल–तिल कर मरने के बदले अच्छा होगा कि सरकार हिम्मत करके जिस तरह यहुदियों को गैस चेंबर में डालकर हिटलर ने मार डाला था उसी तरह मार दिया जाए। राम मनोहर लोहिया की वाणी तीखी और कटु भी था। भद्रता की सीमा का उल्लंघन तथा वाणी की तीखे तीरों की बोछार से भारत के बड़े–बड़े लोग तिलमिला उठे, लोहिया ने जब पहली बार पार्लियामेन्ट में चुनकर दिल्ली गये तो स्ट्रेटमैन के संपादक ने लिखा था 'एबुल इन द चाइना सॉप'। लेनिन की भाषा का भाव लोहिया पर था, लेनिन ने एक बार कहा था कि, शोषितों की पीड़ा की ज्वाला जिसके अन्दर में है। उसकी वाणी में मिठास नहीं हो सकता।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आजादी के सपनों को गांधी, लोहिया और जयप्रकाश ने अपनी ऑखों के सामने ही बिखरते हुए देख लिया था। और अब तो यह देश महाभ्रष्ट देशों की श्रेणी में अव्वल स्थान हासिल कर चुका है। आजाद भारत का सुख भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेता कर रहे है। डा0 भीम राव अम्बेदकर एक महामानव थे परन्तु सत्ता की छीना झपटी करने वाले डा0 भीमराव अम्बेदकर को दलित महादलित का मसीहा कहकर महामानव का कद छोटा कर दिया जाता है। SC/ST एक्ट 1989 में बनाया गया था जबकि अम्बेदर साहब का मृत्य 1956 में ही हो गया था। भाषण देने वाले नेता कई तरह के धारा भी बता दिया जाता है। यह एक ऐसा कानून है कि झूठ केश होने पर भी जेल जाना ही होगा। ईमानदार अधिकारी को भी इमानदारी से जांच करने का अधिकार छीन लिया गया है, मतलब स्पष्ट है कि निर्दोष को भी जेल जाना ही होगा। आज हजारों व्यक्ति इस कानून के दूरूपयोग का शिकार बन कर जेल में कैद है। कानुन में संसोधन के लिए कुछ लोग सरकार को ही कोश रहे है, जबकि संसोधन सुप्रीम ने किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हैः–

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हिंदी रूपांतरण आमजन के लिए', 'सुप्रीम कोर्ट केस क्रमांक 416/2018 सारांश' :– गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड के एक SC ST जाति के स्टोर कीपर की वार्शिक गोपनीय रिपोर्ट में उनेक सीनियर ने विपरीत टिप्पणी दर्ज की। स्टोर कीपर ने उनके विरुद्ध SC ST एक्ट के तहत FIR पुलिस में दर्ज कर दी। पुलिस ने उन अधिकारियों को गिरफ्तार करने हेतु डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजूकेशन से अनुमति मांगी जो मंजूर नहीं की गई। इसके करीब 5 साल बाद उक्त स्टोर कीपर ने डायरेक्ट टैक्निकल एजुकेशन के विरुद्ध FIR दर्ज करवा दी (पेज 3, 4)। डायरेक्ट ने अग्रिम जमानत हेतु न्यायालय में याचिका पेश की जिस पर केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस एक्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के विरुद्ध होने वाले कृत्यों को अपराध माना गया है। जैसे, उनका सामाजिक बहिष्कार करना, जान बूझ कर उन्हें सार्वजानिक रूप से अपमानित या प्रताड़ित करना, इत्यादि। विवाद का विषय यह है कि इस एक्ट के सेक्शन 18 के अनुसार, यदि इस एक्ट के अंतर्गत यदि किसी के विरूद्ध FIR दर्ज होता है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। इसका यह भी अर्थ निकाला गया की यदि कोई कंपलेंट करे तो उसे FIR दर्ज कर गिरफ्तार करना है भले ही बाद में कोर्ट में केस झूठा सिद्ध हो पर उसे पहले जेल जाना होगा।

विडम्बना ये है किलूट, डकैती, बलात्कार, हत्या जैसे आरोपों में भी अग्रिम जमानत मिल सकती है पर SC ST एक्ट के तहत नहीं. (फैसले का पृष्ठ 15 एवं 24). इस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए बड़ी संख्या में केस विशेष रूप से शासकीय एवं अधिशासकीय सेवकों के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थवश फाइल किये गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरों, मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के डाटा (क्राइम इन इंडिया 2016 सांख्यिकी) के अनुसार वर्श 2016 में SC केस में 5347 केस एवं ST के 912 केस झूठे पाए गए। वर्ष 2015 में 15638 में से 11024 केस में आरोप मुक्त कर दिए गए, 495 केस वापस ले लिए गए (पृष्ठ 30)। वर्ष 2015 में कोर्ट द्वारा निष्पादित केस में से 75: से अधिक केस में या तो आरोप सिद्ध नहीं हुये या केस वापस ले लिए गए (पृष्ठ 33)। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए बने इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसे व्यक्गित शत्रुता के कारण बदला लेने या ब्लैकमेल करने का हथियार बनने नहीं देना चाहिए। (पृष्ठ 25). कानून निरपराधा को बचाने एवं दोषी को दंड दिलाने के लिए है। अतः यदि प्रथम दृश्टया किसी ने अपराध नही किया है तो सिर्फ किसी के आरोप लगा देने मात्र से सेक्शन 18 के तहत अग्रिम जमानत न देना उचित नहीं है। इस तरह स्वतंत्रता के मूल संवैधानिक अधिकार का हनन होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शासकीय सेवकों का कार्य निष्पादन कठिन होगा। सामान्य नागरिक को भी इस एक्ट के तहत गलत केस में फंसा देने की धमकी दे कर ब्लैक मेल किया जा सकता है। (पृष्ठ 67)।

अंततः कोर्ट ने कहा कि SC-ST एक्ट के केस में अग्रिम ज़मानत देने पर कोई रोक नहीं है अगर प्रथम दृष्टया केस दुर्भावनावश फ़ाइल किया गया हो। निरपराध नागरिकों को गलत आरोपों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए डी एस पी द्वारा समयबद्ध प्राथमिक जांच की जानी चाहिए एवं केस रजिस्टर होने के बाद भी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। इस एक्ट के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनज़र शासकीय सेवकों को बिना नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। गैरशासकीय सेवकों के केस में जिले की वरिष्ठ पुलिस सुपरिंटेंडेंट की अनुमति आवश्यक होगी. (पृष्ठ 86, 87)। तो जनाब ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इस मसले

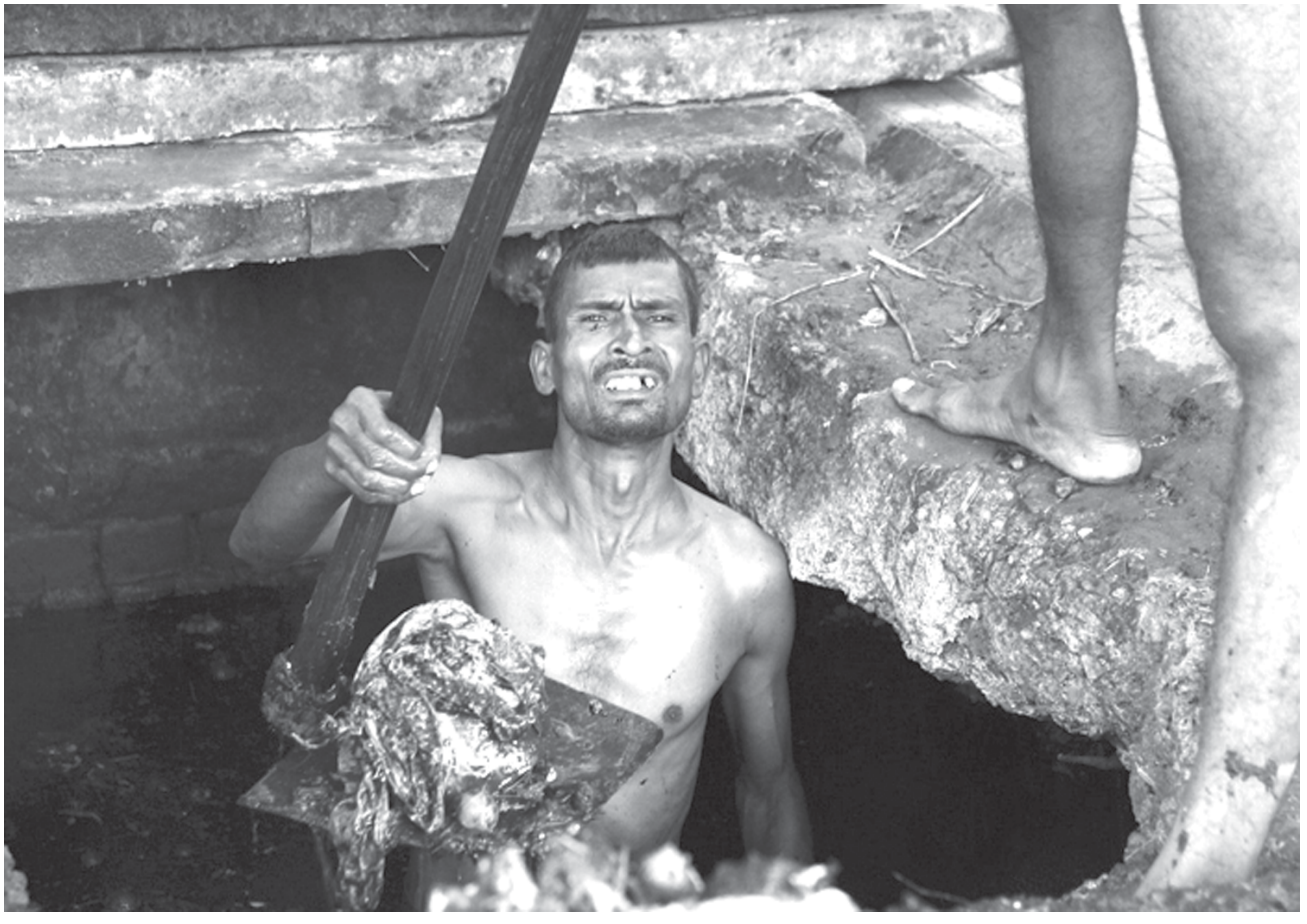

पर जो तथाकथित दलित, शोषित, वंचित हैं और जिनकी मज़ाल नहीं है की आज के युग में भी सताए हैं, बेचारे हैं, कल 2 अप्रैल को इन्हीं बेचारे पीड़ित लोगों ने पूरे देश में तोड़ फोड़ तो किया कि, ये सचमुच में दबे कुचले ही लग रहे थे। सबसे गम्भीर विषय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही निर्दोष को क्यों जेल भेजना चाहता है। निर्दोषो को ही सजा देना चाहतें है तो संसद को न्यायालय घोषित कर दे तथा सासद में ही सजा सूना कर जेल भेज दे। जदयू के श्याम रजक से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप विरोध क्यों करते है इस सवाल के जबाब में कहा कि कोर्ट पर कोई टिप्पणी करना नहीं है। यदि कोर्ट अपना आदेश वापस नहीं लिया तो हमलोग सांसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करेगे।

सबसे बड़ा सवाल है कि नेता लोग दलित महादलित को सुरक्षा क्यों नहीं चाहती है। क्यों चाहती है कि झूठा मुकदमा हो और सजा हो। सुरक्षा की जिम्मेवारी किसे मीला हुआ है और वह जिम्मेबारी अपना नहीं निभाया, जिसके कारण घटना घटती है। वैसे अवस्था में जिम्मेदार अधिकारी को ही सजा सुनाई जाए। यह नियम क्यों नहीं सख्ती से लागु किया जाए कि जिस क्षेत्र में दलित महादलित पर घटना घटती है वहां के थानेदार डीएसपी और एस0 पी0 को भी जेल जाना होगा। ऐसे सख्त आदेश से दलित महादलित पर उत्पीड़न लगभग समाप्त हो जाएगी। दलित का महायोद्धा मायावती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्यों खामोश है। बताया जाता है। मायावती के मुख्यमंत्री पद सम्हालते ही दलित उत्पीड़न का कतार लग गई। मायावती चिन्ता में पड़ गयी कि आखिर में अचानक उत्पीड़न बाद कैसे गया। गोपनीय जांच कारवाई तो पता चला कि अधिकांश आरोप मनगढ़त एवं फर्जी हैं ऐसे स्थिति में इस कानून में स्वयं संसोधन कर निर्दोश को जेल भेजने वाला कानून शिथिल कर दी। मायावती द्वारा संसोधन के समय आज वाले नेता कहा चल गए थे। वास्तव में पता चलता है कि दबंगों, जातिवादी लोगों, तुष्टीकरण का अनैतिक खेल खेलनेवालों को पी. एम. पसंद नहीं है। ऐसे सैंकड़ों लोग इनकी लोकप्रियता से तिलमिला गये हैं। इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सैकड़ों वर्ष पूर्व चाणक्य ने ठीक कहा था ''जब देश के विपक्षी लोगों में हाहाकार हो, तो समझो देश का राजा ईमानदार और चरित्रवान है और देश की प्रगति–द्रुतगति से हो रही है।'' ठीक यही अवस्था आजकल भारत देश में परिलक्षित हो रही है। मोदी की लोकप्रियता, राजकाज करने का अजूबा तरीका तथा इनकी 'ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा'' से विरोधियों में हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी हालत में विरोधी इनका नेतृत्व कबूल नहीं करनेवाले हैं, आज की परिस्थिति के अनुसार दलित बस्तियों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं को लागु करवाने कि आवश्यकता है। योजनाए सही तरीका से करवाने के लिए इमान्दार अधिकारी कि आवश्यकता है आज 90 प्रतिशत से भी ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है जो मोदी सरकार के कार्यों का असफल करने में लगा हुआ है तथा विकास के कार्य सिर्फ कागजों पर किया जा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक जिला में किशोर कुणाल, किरण बेदी, शिवदीप लाण्डे, विकास वैभव, रत्न संजय, निलेश कुमार, बी चन्द्रा, जैसे अधिकारी की आवश्यकता है तथा भाजपा के प्रखण्ड कमिटी के अनुसंशा पर प्रखण्ड के अन्दर के अधिकारियों पर मुकदमा कर जेल भेजने को आवश्यकता है। ●

हिन्दी पत्रकारिता : मिशन से व्यवसाय तक

वह 30 मई का ही दिन था, जब देश का पहला हिन्दी अखबार 'उदंत मार्तण्ड' प्रकाशित हुआ। इसी दिन को हिन्दी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिन्दी के पहले अखबार के प्रकाशन को 189 वर्ष हो गए हैं। इस अवधि में कई समाचार–पत्र शुरू हुए, उनमें से कई बन्द भी हुए, लेकिन उस समय शुरू हुआ हिन्दी पत्रकारिता का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन, अब उद्देश्य पत्रकारिता से ज्यादा व्यावसायिक हो गया है। उदंत मार्तण्ड का प्रकाशन मई, 1826 ई. में कोलकाता (तब कलकत्ता) से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। पंडित जुगलकिशोर सुकुल ने इसकी शुरुआत की। उस समय समय अंग्रेजी,

फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकलते थे, किन्तु हिन्दी में कोई समाचार पत्र नहीं निकलता था। पुस्तकार में छपने वाले इस पत्र के 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए और करीब डेढ़ साल बाद ही दिसंबर 1827 में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। उस समय बिना किसी मदद के अखबार निकालना लगभग मुश्किल ही था, अतः आर्थिक अभावों के कारण यह पत्र अपने प्रकाशन को नियमित नहीं रख सका। जब इसका प्रकाशन बंद हुआ तब अंतिम अंक में प्रकाशित पंक्तियां काफी मार्मिक थीं।

हिंदी प्रिंट पत्रकारिता आज किस मोड़ पर खड़ी है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसे अपनी जमात के लोगों से तो लोहा लेना पड़ रहा है साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चुनौतियां भी उसके सामने हैं। ऐसे में यह काम और मुश्किल हो जाता है। एक बात और हिंदी पत्रकारिता ने जिस शीर्ष को स्पर्श किया था, वह बात अब कहीं नजर नहीं आती। इसकी तीन वजह हो सकती हैं, पहली अखबारों की अंधी दौड़, दूसरा व्यावसायिक दृष्टिकोण और तीसरी समर्पण की भावना का अभाव। पहले अखबार समाज का दर्पण माने जाते थे, पत्रकारिता मिशन होती थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से व्यावसायिकता हावी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि हिंदी पत्रकारिता में राजेन्द्र माथुर (रज्जू बाबू) और प्रभाष जोशी दो ऐसे संपादक रहे हैं, जिन्होंने अपनी कलम से न केवल अपने अपने अखबारों को शीर्ष पर पहुंचाया बल्कि अंग्रेजी के नामचीन अखबारों को भी कड़ी टक्कर दी। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में हिन्दी पत्रकारिता ने जिस सम्मान को स्पर्श किया वह अब कहीं देखने को नहीं मिलता। दरअसल, अब के संपादकों की कलम मालिकों के हाथ से चलती। हिन्दी पत्रकारिता आज कहां है, इस पर निश्चित ही गंभीरता से सोच–विचार करने की जरूरत है। यहां महाकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों को उद्धृत करना भी समीचीन होगा... .हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिल कर, यह समस्याएं सभी।

उदन्त मार्तण्ड का सफर

30 मई यानी हिन्दी पत्रकारिता दिवस। 1826 ई. का यह वही दिन था, जब पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रथम हिन्दी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन आरंभ किया था। 'उदन्त मार्तण्ड' नाम उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का संकेतक था जिसका अर्थ है– 'समाचार सूर्य'। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिन्दी पत्रकारिता ने एक लंबा सफर तय किया। 'उदन्त मार्तण्ड' के आरंभ के समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हिन्दी पत्रकारिता इतना लंबा सफर तय करेगी। युगल किशोर शुक्ल ने काफी समय तक 'उदन्त मार्तण्ड' को चलाया और पत्रकारिता की। लेकिन कुछ समय के बाद इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा जिसका मुख्य कारण था, उसे चलाने के लिए पर्याप्त धन का न होना। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां तब से काफी अलग हैं। आज काफी संख्या में लोग पत्रकारिता पर पैसा लगा रहे हैं और अब ये केवल पत्रकारिता न रहकर एक बड़ा कारोबार बन गया है। बीते 189 वर्षों में हिन्दी अखबारों व समाचार पत्रिकाओं के क्षेत्र में काफी तेजी आई है और हिन्दी पाठक भी

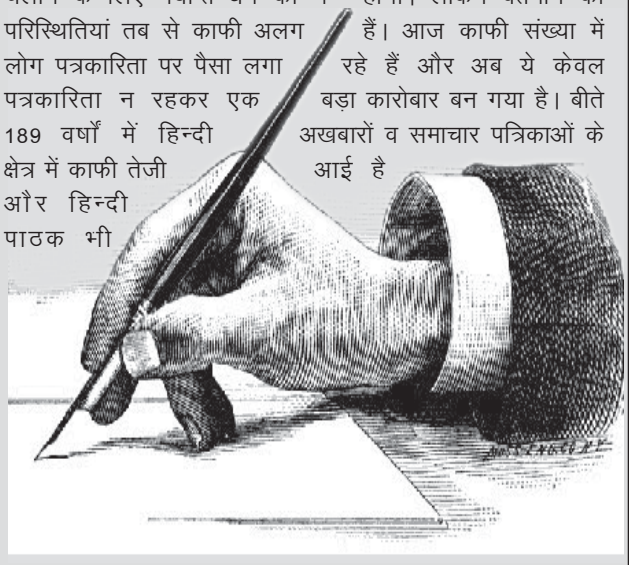

अपने अखबारों को पूरा समर्थन देते हैं। वैसे तो हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा और भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किए और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। राम मोहन राय ने कई पत्र शुरू किए जिसमें साल 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट अहम है, जो भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था। लेकिन 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित 'उदन्त मार्तण्ड' हिन्दी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। तब से लेकर अब तक हिन्दी अखबार समाज में अपना स्थान बना चुके हैं और अन्न–जल की ही भांति जनता के जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं और 'उदन्त मार्तण्ड' से शुरू हुआ हिन्दी पत्रकारिता का ये सफर आज बरकरार रहने के साथ ही अपने आप में कई नए आयाम जोड़कर लगातार फल–फूल रहा है।

प्रस्तुति :–प्रीति सोनी

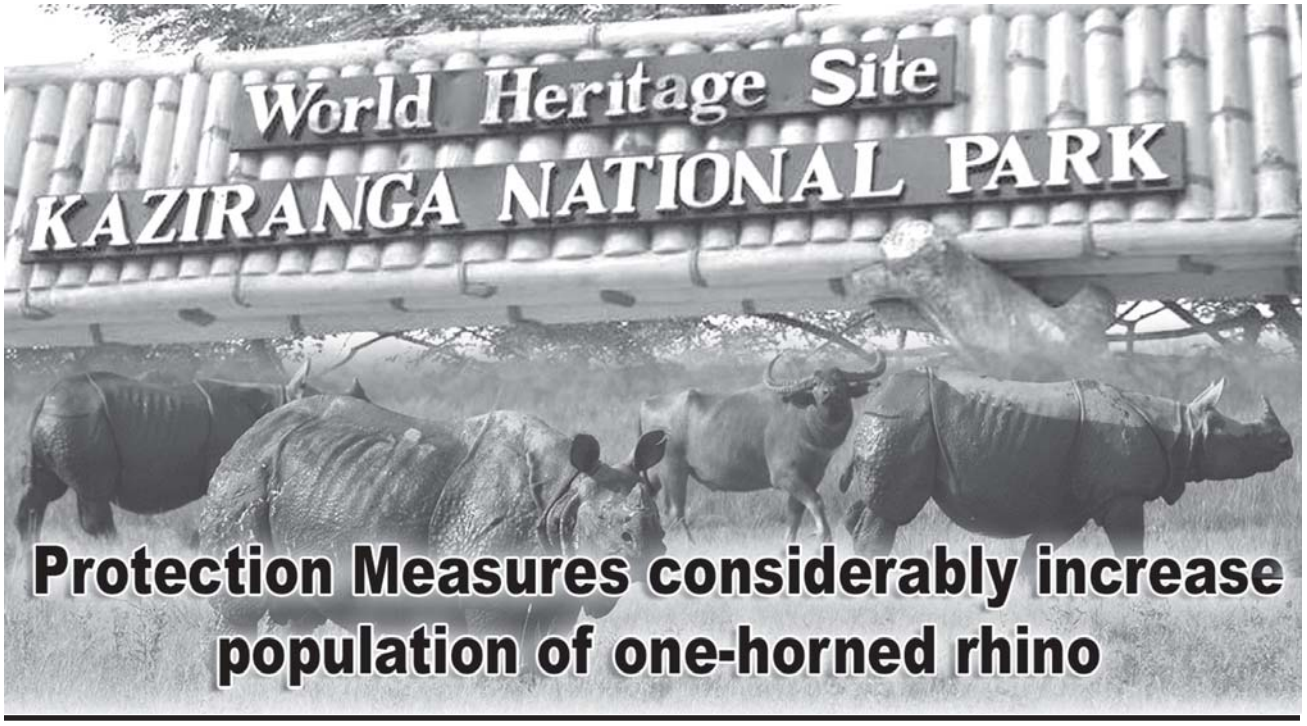

Protection Measures considerably increase population of one-horned rhino

Dr. Satyendra Singh

The Kaziranga National Park is one of the oldest wildlife conservancy reserves of India, first notified in 1905 and constituted as Reserved Forest in 1908 with an area of 228.825 Sq. Km specially established for conservation and protection of the Greater One Horned Rhinoceros (Rhinoceros Unicornis) whose number was estimated at twenty pairs then. Kaziranga was declared a Game Sanctuary in 1916 and opened to visitors in 1938. It was declared a Wildlife Sanctuary in 1950, and notified as Kaziranga National Park in 1974 under the Wildlife (Protection) Act, 1972, with an area of 429.93 Sq. Km. which has now extended to 899 Sq. Km. subsequently.

Kaziranga National is famous for the Big Five namely the Rhinoceros (2,401 nos), Tiger (116 nos), Elephant (1,165 nos), Asiatic Wild Buffalo and the Eastern Swamp Deer (1,148 nos). It houses the largest population of One Horned Rhinoceros in the world and has about 68% of the entire world population of One-horned Rhinoceros. It also has one of the highest densities of tigers in the wild in the world. It also houses almost entire population of the Eastern Swamp Deer. Besides these big five, Kaziranga supports immense floral and faunal biodiversity. The Kaziranga National Park has on its North the river Brahmaputra, entire stretch of which from Golaghat district boundary on the east to the Kaliabhomora bridge on Brahmaputra in the west. On one hand the annual flood waters of the river bring nourishment, leading to a very high productive biomass, but on the other hand, the phenomenon of erosion takes away lot of valuable and prime habitat.

The Kaziranga National Park has in its vicinity several notified forests and protected areas namely Panbari Reserve Forest and Deopahar Proposed Reserve Forest in Golaghat District, Kukurakata Hill Reserve Forest, Bagser Reserve Forest, Kamakhya Hill Reserve Forest and Deosur Hill Proposed Reserve Forest in Nagaon District, Bhumuraguri Reserve Forest in Sonitpur District, North Karbi Anglong Wildlife Sanctuary in Karbi Anglong dis

trict; all these areas are of great ecological importance to the Kaziranga National Park. Poaching of Rhinoceros in Kaziranga has always been a menace since a long time. But, due to excellent protection measures taken by the Park officials in coordination with local people, there was considerable increase in the population of rhino from a few dozens to the present population of 2401 Rhino. The spurt in rhino poaching in Assam in Kaziranga may be attributed to various factors such as astronomical increase in price of the rhino horns in international market in the last few years, easy escape route via Dimapur-Moreh, availability of illegal fire arms in the region, involvement of various insurgent groups in the rhino poaching and trade, highly porous boundary of the Park etc.

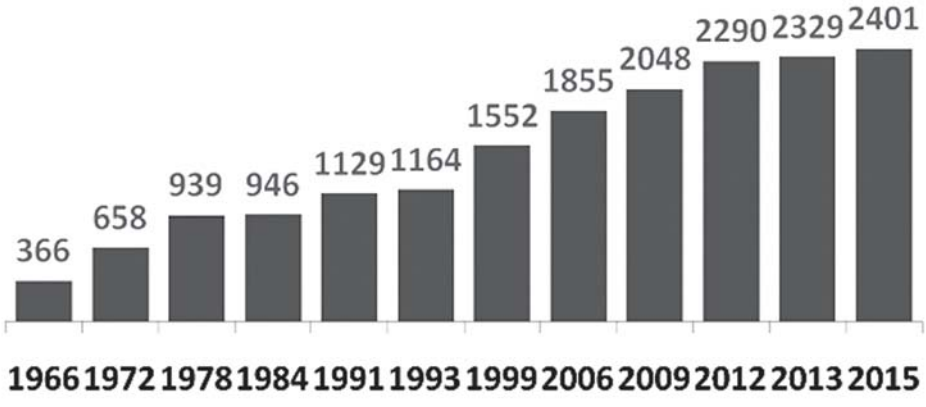

The Kaziranga National Park is an important tourist destination of north eastern region of the country. During the year 2015-16, a total of 1,62,799 tourist, including 11,417 foreign tourists, visited the National Park and Rs. 4.19 crore revenue was earned from entry fees.

Anti poaching Interventions:

Park authorities have taken all efforts to contain poaching within the available means by rigorous patrolling and extensive field duties. Despite all odds such as lack of infrastructure, equipment, shortage of staff, a very porous border all along, a very hostile terrain, every attempt has been made to contain poaching. Following major initiatives have been taken by Government:

❖ The Kaziranga National park was declared a Tiger Reserve in the year 2007 and since then it is getting sufficient financial support under "CSS Project Tiger" which is under the National Tiger Conservation Authority (NTCA), Govt. of India. During the year 2016-17, the Authority sanctioned Rs. 1662.144 lakh (Central share- Rs. 1495.03 lakh).

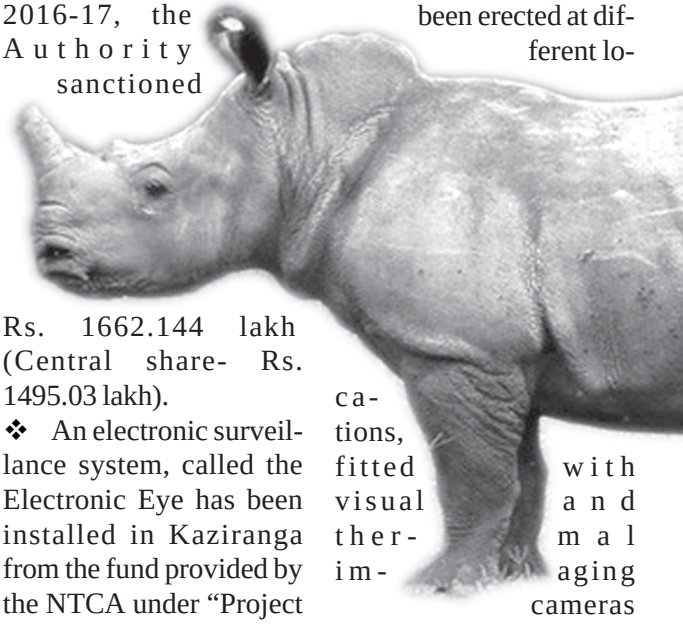

❖ An electronic surveillance system, called the Electronic Eye has been installed in Kaziranga from the fund provided by the NTCA under "Project Tiger". Under the scheme, seven tall towers have been erected at different locations, fitted with visual and thermal imaging cameras with 24x7 real time video access from the control

POACHERS ARRESTED/KILLED AND RECOVERIES

Year	No. of Poachers arrested	No. of Poachers killed	Arms and ammunitions seized
2014	47	22	0.303 Rifle-11, SBBL gun-2 Hand made Gun- 4, Ammunition -83 Rds, Silencer- 5
2015	88	23	.303 Rifle- 16 , Hand made gun 2, .85 mm pistol - 1, .22 rifle-3 , .315 rifle-3 , Ammunition 220 Rds Silencer- 8
2016	59	5	.303 Rifle- 7 , Ak-47 Rifle=-1 .22 rifle- 1, Ak 47 mag-2 no .303 mag -2 no., Ammunition-120 Rds., Silencer- 2

room.

❖ The State Government of Assam has brought about policy and legislative changes, bringing Wildlife (Protection) (Assam Amendment) Act, 2009 for strict enforcement in handling wildlife crime including poaching of Rhinos. The penalty for the offence committed under Wildlife (Protection) Act has been raised to minimum seven years and fine not less than fifty thousand rupees.

❖ In the year 2010 the Government conferred the power to use arms by forest officials and immunity to forest staff in use of fire-arms under Section 197 (2) of the CrPC, 1973.

❖ Additional support for control of poaching in Kaziranga National Park has been provided by placing 423 numbers of the Assam Forest Protection Force personnel and 125 home guards. Process is on to acquire more sophisticated arms for the frontline staff.

❖ Kaziranga Biodiversity and Development Committee was constituted with members from other concerned departments of the State Government and technical experts to examine the infrastructural development in holistic manner for better conservation in the fringe area of the Kaziranga National Park.

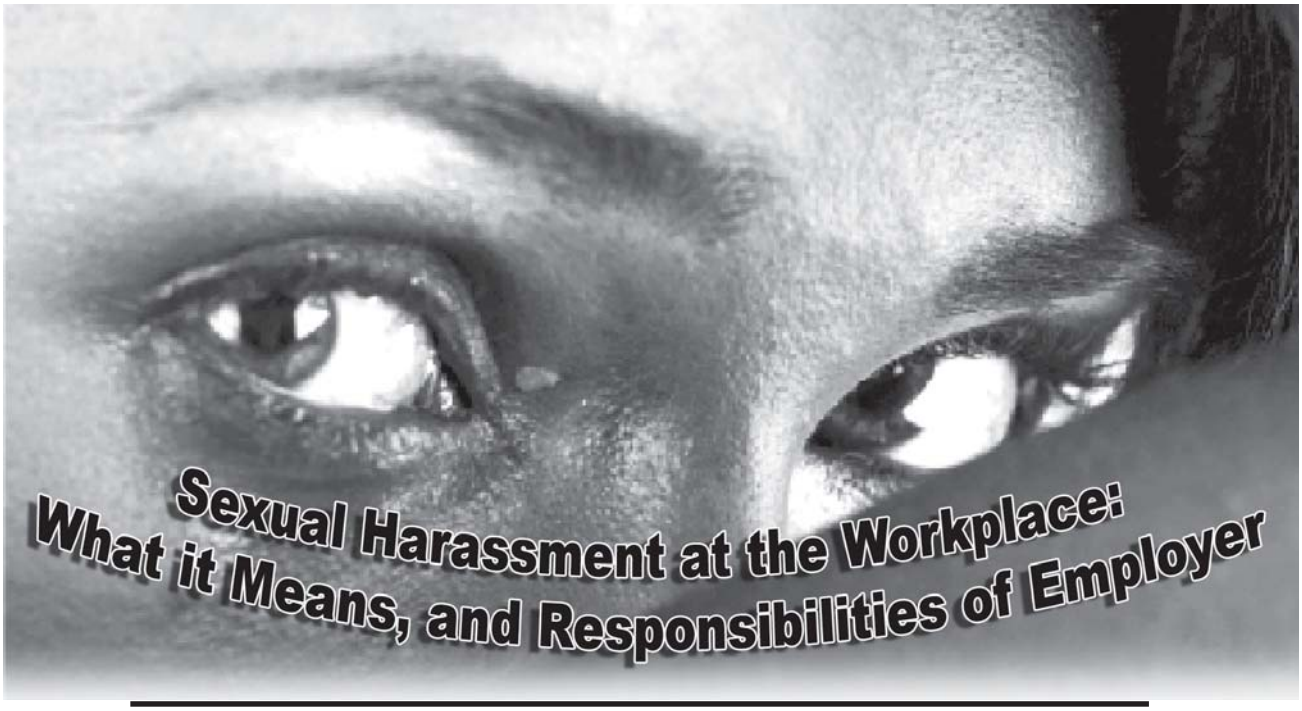

Sexual Harassment at the Workplace: What it Means, and Responsibilities of Employer

Dr. Prerna Kohli

Sexual Harassment at workplace is a violation of women's right to gender equality, life and liberty. It creates an insecure and hostile work environment, which discourages women's participation in work, thereby adversely affecting their economic empowerment and the goal of inclusive growth. Sexual harassment has a demoralizing effect on women and they feel objectified and stop asserting. Sexually harassed women suffer from simple irritation to headache, weight loss or gain, nausea, lowered self-esteem to deep rooted anxiety. Thus, sexual harassment has a major impact on the mental and emotional well-being of women. Sexual harassment is best explained as: "bullying or coercion of a sexual nature or an unwelcome or inappropriate promise of rewards in exchange for sexual favours".

Some of the psychologically damaging effects of sexual harassment at work include long term depression and Post traumatic stress disorder which includes re-experiencing the trauma, and avoiding people or things that may remind the victim of the harassment. Research shows that sexually harassed women withdraw socially, and are not able to function in their day to day social setting. The feeling of shame, stigma and humiliation attached to the experiences make them socially very vulnerable. Sexual harassment is being linked to sleep disorders which may be due to the stress and anxiety of the event that affect the sleep habit. As indicated by some studies, in some extreme cases, women who have experienced frequent unwanted sexual harassment have attempted to commit suicide out of desperation for not being able to address, voice or avoid the harassment. The Protection of Women from Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 focuses on prevention of sexual harassment at workplace and provides a redressal mechanism. The Act has been highlighted over the last year due to the efforts of the Government to ensure its enforcement.

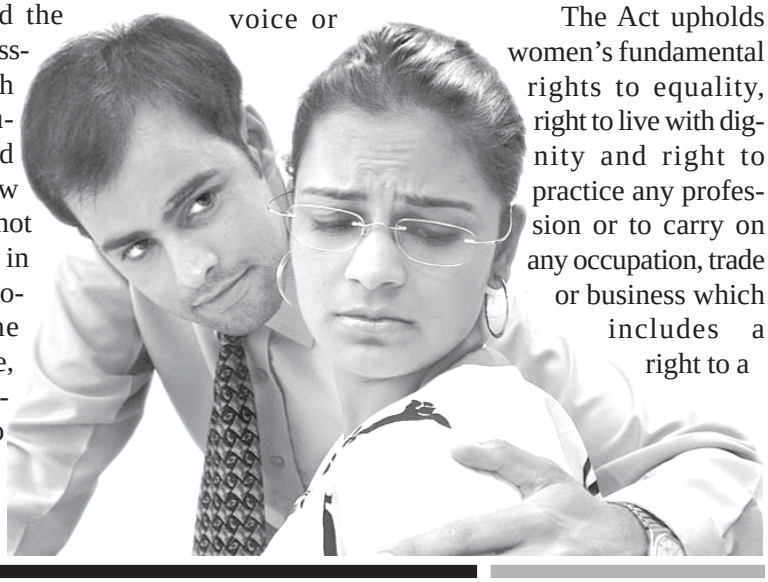

The Act upholds women's fundamental rights to equality, right to live with dignity and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to a

safe working environment, free from sexual harassment as provided under Article 19 (1) (g) of the Indian Constitution. In order to further mainstream the issue and to help organizations to standardize their response mechanisms, Ministry of Women and Child Development, Government of India has recently published a Handbook on the Act. The Handbook can be downloaded at http:// wcd.nic.in/ sites/ dfault/ files/Handbook% 20on% 20Sexual% 20Harassment% 20of% 20Women %20at% 20 Workplace.pdf. The booklet has been sent to all Central Government Ministries/Departments, State Governments and Business Chambers for use as ready reckoner. The Ministries/ Departments in Government of India have been advised by WCD Ministry to ensure the compliance of the Act. The Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM), Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Confederation of India Industry, Chamber of Commerce and Industry (CCI) and National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) have also been requested to ensure effective implementation of the Act amongst their members in private sector entities. The Women & Child Development Ministry is also trying to mandate the disclosure of the constitution of the Internal Complaints Committee(ICC) in the Annual Reports of the Companies. The above mentioned Act covers all women, irrespective of their age or employment status and protect them against sexual harassment at all workplaces both in public and private sector, whether organized or unorganized. The domestic workers are also included under the ambit of the Act. The Act defines "sexual harassment at the workplace" in a comprehensive manner and casts an obligation upon all the organizations (whether private or public sector) having 10 or more workers to constitute Internal Complaints Committee (ICC) for receiving complaints of sexual harassment.

A complaint of sexual harassment can be filed within a time limit of 3 months which can be extended in certain situations. Employers are required to organize workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitizing the employees about the provision of this legislation and display notices regarding the constitution of Internal Committee and penal consequences of sexual harassment etc. It is the responsibility of the Appropriate Government (Central Government, State Government or Union Territory Administration) to monitor the implementation of the Act and to maintain data on the number of cases filed and disposed of in respect of all cases of sexual harassment at the workplace. The Act authorizes the Appropriate Government to make inspection of the records and workplace in relation to sexual harassment. Section 26(1) of the Act states that an employer will be liable to a fine of Rs 50,000/- in case of violation of his duties under the Act and in case of subsequent violation, the amount of fine will be doubled together with penalty in the form of cancellation of his licence or withdrawal or non-renewal of the registration required for carrying out his activity. It is the obligation of each employer to ensure that the work place is free of sexual harassment for all.

Each one of us has to work towards empowering women by making them aware of their basic rights about sexual harassment at the work place. Let India be a Safe India where women can work fearlessly and with dignity.

Harnessing Solar Power
Rajasthan Leads the Path

Pragya Paliwal Gaur

India is running the largest renewable capacity expansion programme in the world. The government is aiming to increase share of clean energy through massive thrust in renewables. At Global Conference "REINVEST 2015" in February2015, Prime Minster Shri Narendra Modi's statement "India is graduating from Megawatts to Gigawatts in Renewable Energy production", set up the higher expectation of clean energy generation in the country. The government has up-scaled the target of renewable energy capacity to 175GW by the year 2022 which includes 100 GW from Solar power. The government has revised the National Solar Mission target of Grid connected Solar Power Projects from 20,000 MW by 2022 by five times to generate 1,00,000 MW solar power by 2022. The target will principally comprise of 40 GW Rooftop and 60 GW through Large and Medium Scale Grid connected Solar Power Projects.

To achieve these targets, the Union Ministry of New and Renewable Energy has initiated several projects like scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Solar Power Projects; Scheme for Development of Solar PV Power Plants on Canal Banks/Canal tops; Scheme for setting up 300 MW of Grid connected Solar PV Power Projects by Defence Establishments under Ministry of Defence and Para Military Forces with viability Gap Funding ; Scheme of setting up 1000 MW of Grid connected Solar PV Power Projects with CPSUs with Viability Gap Funding; Scheme for setting up of 15000 MW of Grid connected to achieve the target; setting up of 2000 MW Grid connected solar power with Viability Gap Funding through Solar Energy Corporation of India (SECI). Another ambitions Scheme has been launched by the Ministry for Roof Top solar installations. Rajasthan shines on the solar energy map of India with 300-330 clear sunny days comparable to the deserts of California, Nevada, Colorado and Arizona. Within the state the districts such as Barmer, Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur are the key regions with best solar radiation. Rajasthan is endowed with two critical resources that are essential to solar power production: high level of solar radiation (6-7 kwh/m2/day) and large tracts of relatively flat, undeveloped land.

Rajasthan came at number one place in the country with 1766 million unit power production during the year 2015-16 in the field of solar power. This year, there has been a

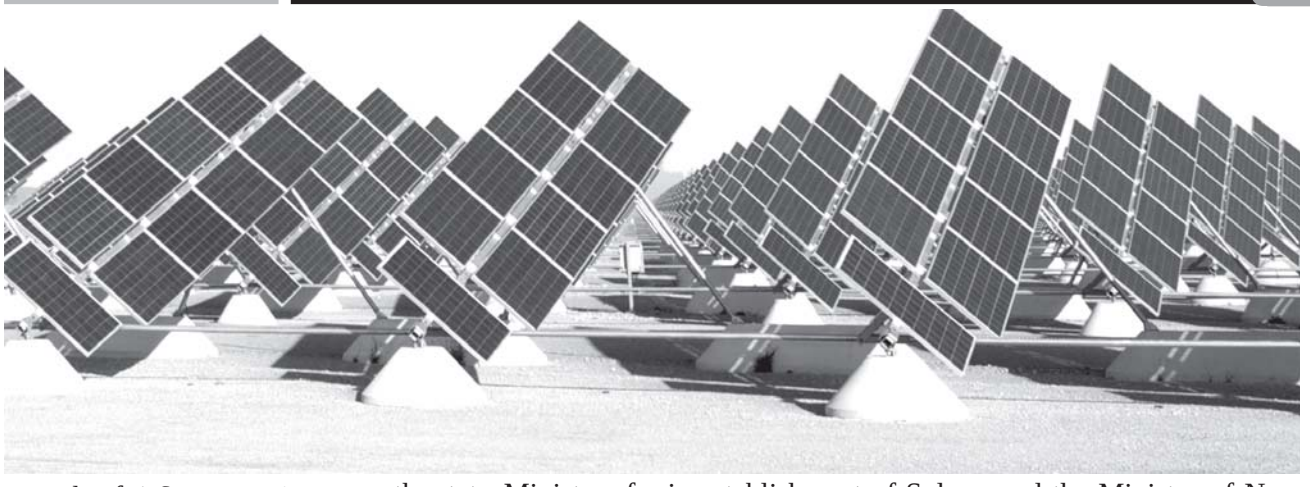

growth of 1.6 percent in solar power production. During 2015-16 on an average, 4.83 million unit power was produced daily in Rajasthan. At present, the total commissioned capacity of solar power is 1284 MW in the state. Special efforts have been made in Rajasthan for increasing the production of Solar Power in the State. Roof top SPV systems are being promoted in a planned manner and work is on for setting up of 6 MW of Roof Top SVP systems in the state. 1.50 lakh solar power domestic units have been set up in rural and urban areas of the state. 13,943 Solar Pump sets have been installed all over the state. Ministry of New and Renewable sources of Energy, Government of India has sanctioned 3 Solar Parks - 2180 MW capacity in Village Bhadla of Jodhpur, 750 MW in Phalodi-Pokaran and 1500 MW Solar parks in Fatehgarh Phase I B in Jaisalmer district.

According to Solar Power Policy 2014 of the state, Government of Rajasthan is giving preference to Public Private Partnership in establishment of Solar Power Parks. One such project is the unique 1 Megawatt India One Solar Thermal Power Plant being set up by the World Renewal Spiritual Trust, a registered Charitable Trust/solar research centre and a sister organisation of the Brahmakumaris at Mount Abu in Rajasthan. The thermal solar plant built jointly by the World Renewal Spiritual Trust and Germany's Fraunkhofer institute (ISE) and the Ministry of New and Renewable Energy's support of the project under its R&D Scheme with 12.6 crores. Being built with the cost of almost 100 crores the plant will start generating power in a year. The thermal solar power plant will be the first of its kind in the world in dish technology in direct steam generation mode, with full thermal storage for 16 hours continuous operations for base load. With Public Private Participation and active follow up on the Solar Power Policy in the State, the day is not far when Rajasthan will become self-sufficient and a surplus state in terms of solar power.

आप भी बनें पत्रकार

भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टों के खिलाफ बेझिझक कलम उठाईये। झारखण्ड प्रदेश के सभी 24 जिलों, 260 प्रखण्डों और 4562 पंचायतों में संवाददाता की आवश्यकता है। कर्मचारी नहीं हिस्सेदार बने। जितना श्रम उतना पारिश्रमिक पायें। सम्पर्क करें:-

9431073769/9955077308/9308727077

Road Safety-Ti

Archana Datta

Expansion of transport network is a necessary prerequisite for growth, and urbanization an almost certain corollary. So, as India charts a path of growth, we see an increasing level of urbanization and concentration of population in cities. As expected, we also see a rapid expansion of the road network in the country with an overall increase in motorization. India today has one of the largest road networks in the world. Motor vehicle population has grown here at Compounded Annual Growth rate of 10.5% during the period 2003-13. While this growth is perfectly in order and also necessary for a surging economy, what raises a cause for concern is the fact that we have not equipped ourselves to deal with this increased pressure on road space. We have not brought in modern traffic management systems and practices including development of contemporary traffic rules and creating awareness regarding adherence to these rules. As a result, we have a very high number of road accidents in the country and safety in road travel has become a cause for concern and a major public health issue. 56 Road Accidents take place and 16 Persons killed every hour in the country.

To ensure a "safe system" in road travel, it is imperative to augment road infrastructure, develop the safety mechanism in vehicles, change the behaviour of drivers and road users, and improve the emergency and other post-crash services. These are the four Es in road safety, Education, Enfoncement, Engineering, Environment and Emergency care. The World Health Organisation (WHO) in 2009, in its first Global Status Report on Road Safety, identified road accidents as the "biggest killers" across the world. The report says about 1.2 million people die and 50 million get affected in road accidents globally every year. A decade of Action for Road Safety (2011-2020) has been adopted with a goal to reduce the fatalities from road accidents by 50 percent.

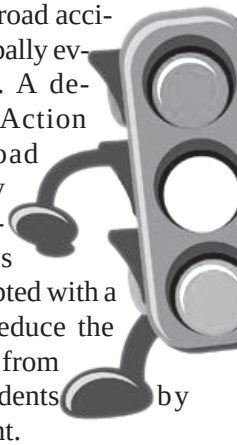

ime for Action

India has been identified by the WHO as a nation leading in road death, roughly one road accident per minute and one road accident death every four minutes. According to the Ministry of Road Transport and Highways, over one lakh persons lose their lives every year in road accidents. In 2014 alone, more than 1.39 lakh people died in road accidents. The Government has adopted a National Road Safety Policy in 2010 which emphasizes the importance of creating awareness about the various aspects of road safety, and its socio-economic implications and developing a road safety information database.

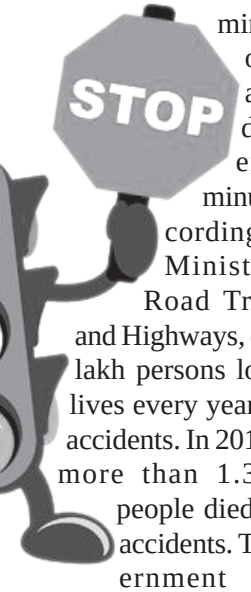

The Government has also come up with a draft Road Transport and Safety Bill, 2014 with stronger punitive action and penalty for traffic violations and road safety forms a major component of the proposed Act. The 2014 Bill, now put up on the site of the Ministry of Road Transport and Highways for public comments, proposes modernisation of the road transport infrastructure, improvement in the quality of vehicles on the roads and simplification in the procedure to obtain driving licence through a Unified Driver Licensing System for the entire country. The use of safety equipment like helmets, seat belts for all passengers including those in rear seats and high visibility clothing for two wheelers has been made mandatory in the proposed Act. The safety of children has also been taken into account by requiring to make use of child safety and restraint systems. The proposed Bill has set a target of saving 2 lakh lives in the first five years, increasing the national GDP by 4% by improving safety and efficiency of road transport. Under 'Make in India', it aims at creating 10 lakh jobs with more investment in the road transport sector.

The Government has already launched a pilot project for cashless treatment of road accidents in a few stretches like Gurgaon-Jaipur stretch on NH-8 in 2013-14, Ranchi-Rargaon-Mahulia stretch of NH-33 and Vadodara-Mumbai

stretch of NH-8 in 2014-15. This is to save lives of accident victims by providing prompt and appropriate medical care during the 'golden hour' that is the first 48 hours, within a limit of Rs.30,000/-. A 24/7 call centre with toll free number 1033 has also been activated on these stretches. The data from the pilot project would be utilised for formulating a Pan-India scheme for cashless treatment of road accident victims. In order to reduce the number of accidents, the Government is identifying major accident "Black Spots" on the roads. An accident Black Spot is a stretch of road where the level of risk of accidents is higher than the surrounding areas. Crashes tend to be concentrated at these relatively high-risk locations. The data on black spots are now required to be reported by the states/UTs to the Ministry of Road, Transport and Highways. An analysis of these spots will help identify the risk factor and put corrective safety measures in place. Details of 726 black spots have been compiled from across the country. Out of these, about 190 spots have already been analyzed and corrective measures have been put in place at these spots.

Road safety is for public good. The Road Safety Policy and the proposed Act, both put emphasis on enhancing public awareness and educating people about their roles in making the road travel safe. Keeping this in mind, every year in January, 'Road Safety Week' is organised for sensitisation of various stakeholders. The aim of this campaign is to highlight the need of safe road travel by applying just simple rules.

Variety of programs about the methods and necessities of the road safety like the use of helmets or seat belts while driving, medical check-up camps, driving training workshops and competitive events at educational institutions are mounted for different target groups like the road travellers, drivers and also school children, students and youth. On the other hand, activities should be undertaken for improving public transport system, proper management of traffic system and strict observance of emission norms. Each year a specific theme is chosen to create awareness. Some such themes like "Build a Safety Culture for Sustainable Supply Chain", "Safety is not just a slogan, It's a way of life", "Walk for Road Safety", "Stay Alive, don't drink and drive" and "Road Safety A Mission, Not Intermission", etc have already been highlighted during the observance of the week.

The 27th Road safety week was observed from 11th of January (Monday) to the 17th of January (Sunday). This year the Campaign focused on 'Road Safety--Time for Action'. The Campaign for road safety can only be successful if all stakeholders such as transport, insurance, health, legal professionals, highway engineers and vehicle manufacturers are on board. Children and school and college going students should be taught from the beginning about the road user behaviour. Road safety education should be a part of the school curriculum so that safety becomes a habit and a way of life from the beginning.

Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar - A Profile

Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14th April, 1891 in Mahu in Madhya Pradesh. He was the fourteenth child of his parents. The life of Dr. Bhimrao Ambedkar was marked by struggles but he proved that every hurdle in life can be surmounted with talent and firm determination. The biggest barrier in his life was the caste system adopted by the Hindu society according to which the family he was born in was considered 'untouchable'.

In the year 1908, young Bhimrao passed the Matriculation examination from Bombay University with flying colours. Four years later he graduated in Political Science and Economics from Bombay University and got a job in Baroda. Around the same time his father passed away. Although he was going through a bad time, Bhimrao decided to accept the opportunity to go to USA for further studies at Columbia University for which he was awarded a scholarship by the Maharaja of Baroda. Bhimrao remained abroad from 1913 to 1917 and again from 1920 to 1923. During this period he had established himself as an eminent intellectual. Columbia University had awarded him the PhD for his thesis, which was later published in a book form under the title "The Evolution of Provincial Finance in British India". But his first published article was "Castes in India - Their Mechanism, Genesis and Development". During his sojourn in London from 1920 to 1923, he also completed his thesis titled "The Problem of the Rupee for which he was awarded the degree of DSc. Before his departure for London he had taught at a College in Bombay and also brought out Marathi weekly whose title was 'Mook Nayak' (meaning 'Dumb Hero').

By the time he returned to India in April 1923, Dr Bhimrao Ambedkar had equipped himself fully to wage war against the practice of untouchability on behalf of the untouchable and the downtrodden. Meanwhile the political situation in India had undergone substantial changes and the freedom struggle in the country had made significant progress. While Bhimrao was an ardent patriot on one hand, he was the saviour of the oppressed, women and poor on the other. He fought for them throughout his life. In 1923, he set up the 'Bahishkrit Hitkarini Sabha (Outcastes Welfare Association), which was devoted to spreading education and culture amongst the downtrodden, improving the economic status and raising matters concerning their problems in the proper forums to focus attention on them and finding solutions to the same. The problems of the downtrodden were centuries old and difficult to overcome. Their entry into temples was forbidden. They could not draw water from public wells and ponds. Their admission in schools was prohibited. In 1927, he led the Mahad March at the Chowdar Tank at Colaba, near Bombay, to give the un

touchables the right to draw water from the public tank where he burnt copies of the 'Manusmriti' publicly. This marked the beginning of the anticaste and ant-priest movement. The temple entry movement launched by Dr. Ambedkar in 1930 at Kalaram temple, Nasik is another landmark in the struggle for human rights and social justice. 2 In the meantime, Ramsay McDonald announced the 'Communal Award' as a result of which in several communities including the 'depressed classes' were given the right to have separate electorates. This was a part of the overall design of the British to divide and rule. Gandhiji wanted to defeat this design and went on a fast unto death to oppose it. On 24th September 1932, Dr. Ambedkar and Gandhiji reached an understanding, which became the famous Poona Pact. According to this Pact, in addition to the agreement on electoral constituencies, reservations were provided for untouchables in Government jobs and legislative assemblies. The provision of separate electorate was dispensed with. The Pact carved out a clear and definite position for the downtrodden on the political scene of the country. It opened up opportunities of education and government service for them and also gave them a right to vote. Dr. Ambedkar attended all the three Round Table Conferences in London and each time, forcefully projected his views in the interest of the 'untouchable'. He exhorted the downtrodden sections to raise their living standards and to acquire as much political power as possible. He was of the view that there was no future for untouchables in the Hindu religion and they should change their religion if need be. In 1935, he publicly proclaimed," I was born a Hindu because I had no control over this but I shall not die a Hindu. After a while Dr. Ambedkar, organised the Independent Labour Party, participated in the provincial elections and was elected to the Bombay Legislative Assembly. During these days he stressed the need for abolition of the 'Jagirdari' system, pleaded for workers Fight to strike and addressed a large number of meetings and conferences in Bombay Presidency. In 1939, during the Second World War, he called upon Indians to join the Army in large numbers to defeat Nazism, which he said, was another name for Fascism. In 1947, when India became independent, the first Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru, invited Dr. Ambedkar, who had been elected as a Member of the Constituent Assembly from Bengal, to join his Cabinet as a Law Minister. Dr. Ambedkar had differences of opinion with the Government over the Hindu Code Bill, which led to his resignation as Law Minister. The Constituent Assembly entrusted the job of drafting the Constitution to a committee and Dr. Ambedkar was elected as Chairman of this Drafting Committee. While he was busy with drafting the Constitution, India faced several crises. The country saw partition and Mahatma Gandhi was assassinated. In the beginning of 1948, Dr. Ambedkar completed the draft of the Constitution and presented it in the Constituent Assembly. In November 1949, this draft was adopted with very few amendments. Many provisions have been made in the Constitution to ensure social justice for scheduled castes, scheduled tribes and backward classes. Dr. Ambedkar was of the opinion that traditional religious values should be given up and new ideas adopted. He laid special emphasis on dignity, unity, freedom and rights for all citizens as enshrined in the Constitution. 3 Ambedkar advocated democracy in every field: social, economic and political. For him social Justice meant maximum happiness to the maximum number of people. On 24th May, 1956, on the occasion of Buddha Jayanti, he declared in Bombay, that he would adopt Buddhism in October. On October 14, 1956 he embraced Buddhism along with many of his followers. The same year he completed his last writing 'Buddha and His Dharma'. Dr. Ambedkar's patriotism started with the upliftment of the downtrodden and the poor. He fought for their equality and rights. His ideas about patriotism were not only confined to the abolition of colonialism, but he also wanted freedom for every individual. For him freedom without equality, democracy and equality without freedom could lead to absolute dictatorship. On 6th December, 1956, Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar attained 'Mahaparinirvan'.

अलग तरह की है किन्नरों की दुनिया

● अनिल अनूप

किन्नरों की दुनिया एक अलग तरह की दुनिया है जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी कम ही होती है। इसके अलावा किन्नरों पर न ही ज्यादा शोध किया गया है। भारत में बीस लाख से ज्यादा किन्नर है और निरंतर इनकी संख्या घट रही है, मगर फिर भी किन्नरों को संतान मिल ही जाती है। ये उनका लालन–पालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। जहां तक एक से बच्चे को बिरादरी में सम्मिलित करने की बात है तो बनी प्रथा के अनुसार बालिग होने पर ही रीति संस्कार द्वारा किसी को बिरादरी में शामिल किया जाता है। रीति संस्कार से एक दिन पूर्व नाच–गाना होता है तथा सभी का खाना एक ही चुल्हे पर बनता है। अगले दिन जिसे किन्नर बनना होता है, उसे नहला–धुलाकर अगरबत्ती और इत्र की सुगंध के साथ तिलक किया जाता है। शुद्धिकरण उपरांत उसे सम्मानपूर्वक ऊंचे मंच पर बिठाकर उसकी जननेन्द्रिय काट दी जाती है और उसे हमेशा के लिए साड़ी, गहने व चूडियां पहनाकर नया नाम देकर बिरादरी में शामिल कर लिया जाता है। किन्नरों के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जैसे कि किन्नरों की शवयात्राएं रात्रि को निकाली जाती हैं। शवयात्रा को उठाने से पूर्व जूतों–चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने उपरांत पूरा किन्नर समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। इन भ्रांतियों के संबंध में किन्नर भी इन रस्मों को इंकार तो नहीं करते, मगर इसे नाममात्र ही बताते हैं। भारत के किन्नरों के दर्दनाक जीवन की अकांक्षाओं, संघर्ष और सदस्यों की अनदेखी करना ज्यादती होगी। किन्नरों के संबंध में जानकारी मिली है कि कुछ किन्नर जन्मजात होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं कि पहले पुरुष थे, परंतु बध्याकरण की प्रकिया से किन्नर बने हैं। अपनी आजीविका चलाने वाले किन्नर विवाह–शादी या बच्चा होने पर नाच–गाना करके बधाई में धनराशि व वस्त्र इत्यादि लेते हैं, जबकि त्योहारों के अवसर पर दुकानों इत्यादि से भी धनराशि एकत्रित कर लेते हैं। किसी के घर विवाह हो या पुत्ररत्न की प्राप्ति की सूचना, मोहल्लों में छोड़े मुखबिरों से उन्हें मिल जाती है। कुछ जानकारी नगर परिषद में जन्म–मरण रिकॉर्ड से नव जन्मे बच्चे की जानकारी मिल जाती है, जबकि शादी का पता विभिन्न धर्मशालाओं एवं मैरिज पैलेस की बुकिंग से चल जाता है। किन्नरों तक खबर पहुंचाने वाले को तयशुदा कमीशन भी मिलता है। किन्नर सरकार और समाज से सिर्फ इतना चाहते हैं कि समाज उनका मजाक न उड़ाए और न ही घृणा की दृष्टि से देखें, जबकि समाज के प्रति ऐसी सम्मानित भावना उपरांत भी किन्नर समाज में तिरस्कृत तथा बहिष्कृत है। इनके आधे–अधूरेपन की वजह से भले ही समाज इन्हें अपना अंग मानने से इंकार करता रहे, मगर वास्तविकता यही है कि ये समाज के अंग हैं। अंधे, कोढ़ी और अपंग लोगों की तरह किन्नर भी लाचार हैं, जबकि किन्नरों को तिरस्कार व उपेक्षा की नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान देने की जरूरत है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के मुख्य शहर में पिछले दिनों क्या दुकानें, क्या गेस्ट हाउस और क्या होटल – हर जगह बस किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे जिनको हिजड़ा भी कहा जाता है। तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा को हर साल ऐसा ही होता है जब देशभर के किन्नर विल्लुपुरम का रुख करते हैं। विल्लुपुरम से गाड़ी से कोई घंटे भर की दूरी तय करने पर गन्नों के खेतों से भरा छोटा–सा एक गांव है– कूवगम– जिसे किन्नरों का मक्का कहा जाता है। इसी कूवगम में महाभारत काल के

योद्धा अरावान का मंदिर है। हिन्दू मान्यता के अनुसार पांडवों को युद्ध जीतने के लिए अरावान की बलि देनी पड़ी थी। अरावान ने आखरी इच्छा जताई कि वो शादी करना चाहता है ताकि मृत्यु की अंतिम रात को वह पत्नी सुख का अनुभव कर सके। कथा के अनुसार अरावान की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं स्त्री का रूप लिया और अगले दिन ही ''विधवा'' बन गए। इसी मान्यता के तहत कूवगम में हजारों किन्नर हर साल दुल्हन बनकर अपनी शादी रचाते हैं और इस शादी के लिए कूवगम के इस मंदिर के पास जमकर नाच गाना होता है जिसे देखने के लिए लोग जुटते हैं। फिर मंदिर के भीतर पूरी औपचारिकता के साथ अरावान के साथ हिजड़ों की शादी होती है। शादी किन्नरों के लिए बड़ी चीज होती है और इसलिए मंदिर से बाहर आकर अपनी इस दुल्हन की तस्वीर को वो कैमरों में भी कैद करवाते हैं। चीपुरम से आई राधा का कहना है कि उन्हें ये पर्व इसलिए प्यारा लगता है कि क्योंकि इससे कम–से–कम एक बार तो उसकी शादी हो ही सकती है। मगर 37 वर्षीय राधा की कहानी अपने–आप में हिजड़ा समुदाय के दर्द का बयान है। गांववाले हंसते और मजाक उड़ाते थे इसलिए राधा को 12 साल की उम्र में अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। वेशभूषा उसने औरतों जैसी रखी जरूर है मगर आंखें बंद कर अगर कोई उसकी आवाज सुने तो चेन्नई में रिक्शेवालों की आवाज और राधा की आवाज में फर्क करना उसके लिए संभव नहीं होगा। राधा ने घर छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी के पच्चीस साल एक शहर की एक पिछड़ी बस्ती में बिताए। और राधा और उसकी दोस्तों के पास पेट भरने के लिए देह व्यापार को छोड़ दूसरे धंधे नजर नही आ रहे थे। कई बार तो उन्होंने बस दुकानों में जाकर सीधे पैसे मांगे। मगर जिंदगी उनकी मुश्किलों भरी थी – आम दुनिया के लिए वो अजनबी थे– हैरत की चीज थे। वैसे तो कई जगह ये भी मान्यता है कि किन्नर शादी या बच्चों के जन्म के मौके पर शुभ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आमतौर पर उनके लिए बस दो ही भावनाएं नजर आती हैं – भय या घृणा। और समाज का ये सौतेला बर्ताव झेलते–झेलते किन्नरों का स्वभाव भी प्रतिक्रिया में आक्रामक होता गया है। अश्लील भाषा का इस्तेमाल उनके लिए सामान्य है और आम समाज पर उनका भरोसा टूट चुका है, मगर बदलाव भी हो रहे हैं किन्नरों की दुनिया में। 24 साल की फामिला ने वर्षों की हिकारत और उपेक्षा झेलने के बाद ऐसी ही कोशिश की है। बंगलोर की रहने वाली फामिला ने 5 साल पहले ऑपरेशन करवाया और वह बिलकुल सामान्य महिला नजर आती है, बल्कि कूवगम पर्व के मौके पर आयोजित सौंदर्य स्पर्धा में उसने दूसरा स्थान भी हासिल किया। फर्राटे की अंग्रेजी में उसने बताया कि वैसे वह ऐसी स्पर्धाओं की विरोधी है लेकिन किन्नरों के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए उसने इस मंच का इस्तेमाल उचित समझा। उसने बताया कि किन्नरों की दुनिया

स ` लोग आगे निकल रहे हैं और कुछ राज्यों में तो उन्होंने सक्रिय

राजनीति में कामयाबी भी पाई है। किन्नरों की शादी के अगले दिन कूवगम समारोह का समापन हो जाता है और ये दिन किन्नरों के लिए फिर वो दुख भरी जिंदगी छोड़ जाता है जिसके वो आदी हो चुके हैं। अंतिम दिन सारे कूवगम में अरावान की प्रतिमा को घुमाने के बाद उसे नष्ट कर दिया जाता है। फिर किन्नर अपने मंगलसूत्र को तोड़ते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं। और फिर उनका विलाप शुरू होता है – उस दिन की याद में – जिसने उनकी तमन्ना पूरी की – और जिसके बाद पूरे एक बरस उनका सामना होना है – बस एक खौफनाक सच्चाई से जिसे किन्नर अपनी हकीकत मानने पर मजबूर हैं। प्रकृति में नर–नारी के अलावा एक अन्य वर्ग भी है जो न तो पूरी तरह नर होता है और न नारी। जिसे लोग हिजड़ा या किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से संबोधित करते हैं। किन्नरों क`

अंदर एक अलग गुण पाए जाते हैं। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। इनका रहन–सहन, पहनावा और काम–धंधा भी इन दोनों से भिन्न होता है। आज से नहीं, सदियों से किन्नरों के जन्म की परंपरा चलती आई है। लेकिन आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिरकार किन्नरों का जन्म क्यों होता है।

✯ क्या कहते हैं ज्योतिष– पुराण रू अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की तो किन्नरों के जन्म को लेकर इनके भी कई अलग–अलग दावे हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चे के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर आठवें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं देखता है तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है, क्योंकि कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि के आठवें घर में विराजमान होने से सेक्स में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की अगर मानें तो इससे भी बचाव का एक तरीका है। इसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर व्यक्तियों पर पड़ता है तो बच्चा नपुंसक नहीं पैदा होता। तो किन्नरों के पैदा होने पर ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लग्न से गर्भधारण होता है। जिसमें वीर्य की अधिकता होने के कारण लड़का और रक्त की अधिकता होने के कारण लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब गर्भधारण के दौरान रक्त और वीर्य दोनों की मात्रा एक समान होती है तो बच्चा किन्नर पैदा होता है, वहीं किन्नरों के जन्म लेने का एक और कारण माना जाता है। जिसमें कई ग्रहों को इसका कारण बताया गया है। शास्त्र की अगर मानें तो किन्नरों की पैदाइश अपने पूर्व जन्म के गुनाहों की वजह से होता है। पुराणों की बात करें तो किन्नरों के होने की बात पौराणिक कथाओं में भी है। पौराणिक कथाओं को अगर माने तो अर्जुन कि भी गिनती कई महीनों तक हिजड़ों में की जाती थी। मुगल शासन की बात करें तो उस वक्त भी किन्नरों का राज दरबार लगाया जाता था। देश की सोच बदल रही है। समलैंगिकता को सामान्य मानकर उन्हें अपनाने की वकालत की जा रही है। समय–समय पर उनके हक के लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है, लेकिन आज भी कुछ हैरान करने वाली ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, जो देश को फिर 100 साल पीछे धकेल देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की जहां कुछ डॉक्टर्स अवैध तरीकों से होमोसेक्सुअलिटी का इलाज कर रहे हैं। एक अखबार ने डॉक्टरों के इस रैकेट रूपी बिजनेस का भंडाफोड़ किया है। अखबार के मुताबिक दिल्ली के डॉक्टर्स होमोसेक्सुअलिटी का इलाज करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चौंकाने वाले और दर्दनाक हैं। दिल्ली के डॉक्टर होमोसेक्सुअल लोगों के कथित इलाज में हॉर्मोन थैरेपी और इलेक्ट्रिक शॉक का भी प्रयोग कर रहे हैं। अखबार ने डॉ. विनोद रैना का स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में विनोद रैना अब तक 1000 से ज्यादा होमोसेक्सुअल लोगों के इलाज का दावा कर रहे हैं। क्टरों के लिए समलैंगिकता दिमागी बीमारी है जो सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह हैं, जिसका इलाज हो सकता है। कन्वर्जन थैरेपी करने वालों का दावा है कि इससे होमोसेक्सुअल लोगों को महीने भर में हेट्रोसेक्सुअल बनाया जा सकता है। इस थैरेपी की कई प्रक्रियाएं संदिग्ध हैं, जिसमें होमोसेक्सुअल लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देना, मिचली की दवाएं खिलाना और टेस्टोटेरॉन को बढ़ाने के लिए नुस्खा लिखना या टॉक थैरेपी का इस्तेमाल करना भी शामिल है। अखबार ने दावा किया है कि उसके पास डॉक्टर्स से की गई बातचीत के ऑडियो–वीडियो साक्ष्य मौजूद है। कुछ जगह आयुर्वेदिक दवाओं की बात करके इलाज का नुस्खा सुझाया जा रहा है तो कुछ जगह हार्मोन बैलेंस के जरिए समलैंगिकता की बात की जा रही है। बर्लिंग्टन क्लीनिक के डॉक्टर एसके जैन जहां आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा ले रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विनोद रैना जैसे डॉक्टर्स ने हार्मोन बैलेंस का रास्ता अपना रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो महज 2100 रुपए में समलैंगिकता के पूरे इलाज का वादा मरीजों से कर रहे हैं। अखबार के हवाले से मैक्स हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर नागेन्द्र कुमार कहते हैं कि समलैंगिकता उस तरह की है जैसे किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत होती है, वहीं सेफ हैंड्स क्लिनिक के सेक्सोलॉजिस्ट डॉ. विनोद रैना के मुताबिक कुछ बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं और बाद में वहीं होमोसेक्सुअल बन जाते हैं। नैचुरल है होमोसेक्सुअलिटी एलजीबीटी (Lesbian, Gay, Bise Ûual and Transgender) के हकों को लिए आवाज बुलंद करने वाली मित्र ट्रस्ट की डायरेक्टर रुद्राणी छेत्री का कहना है कि समलैंगिकता एक नेचुरल है ना कि साइकोलॉजिकल। उनका कहना है कि भागमभाग भरी जिंदगी में लोग बहुसंख्यक की तरफ हो जाते हैं इसलिए इसे अलग नजरिए से देखा जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से होमोसेक्सुअलिटी का इलाज करने के संबंध में रुद्राणी का कहना है कि शॉक से पागलों को ठीक किया जाता है और होमुसेक्सुअलिटी के लिए यह तरीका अपनाना वाहियात है। रुद्राणी ने बताया कि भारत भले ही कितनी तरक्की कर रहा हो, लेकिन आज भी कुछ लोग इस समुदाय को गलत नजरिए से देखते हैं। गलत नजरिए को कुछ डॉक्टर कमाई का रूप दे देते हैं। रुद्राणी का कहना है इस तरह के इलाज से अवसाद पैदा होता है जिसका रिजल्ट खुदकुशी के रूप में सामने आता है।

शराबबंदी पर कब तक पाबंदी?

● अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद

ज्ञात हो कि इसी वर्ष 2016 के अप्रैल महीने में बिहार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रदेश में शराबबंदी को मंजूरी दिए जाने और इसको लेकर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद प्रदेश में शराबबंदी लागू हो गई। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में शराबबंदी को मंजूरी दे दी गई थी। बिहार उत्पाद आयुक्त कुंवर जंग बहादुर ने बताया था कि मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल जाने के बाद उत्पाद और मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके तहत प्रदेश में शराबबंदी लागू हो गई और जो भी इसका उल्लंघन करेंगे वे बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत सजा के भागीदार होंगे। बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत प्रथम चरण में एक अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में देशी और मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के साथ पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। एक अप्रैल से शहरी इलाके में देशी और मसालेदार शराब की बिक्री प्रतिबंधित किए जाने के साथ भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिवेरेज कॉरपोरेशन की दुकानों के माध्यम से की जाएगी और शहरी इलाके में भी पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर वातारण बन जाने और इसकी स्वीकारोक्ति बढने पर दूसरे चरण में यहां भी पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। इस कानून के लागू हो जाने के बाद लोगों को शराब नहीं उपलब्ध हो पाएगा और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को कडी सजा दी जाएगी। इस कानून के तहत अन्य सजा के प्रावधानों के अतिरिक्त शहरी इलाकों में भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिक्री की जाएगी। किसी के द्वारा विहित मात्रा में अधिक शराब का संग्रह, रखने या क्रय करने और अवैध उत्पादन और बिक्री करने पर आठ से दस साल तक के कारावास की सजा और एक से दस लाख रुपए के अर्थदंड के भागी होंगे। इस कानून के लागू होने के पूर्व पटना के खगौल थानांतर्गत लखानी बिगहा में स्थित बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो में जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने अपनी निगरानी में 3.36 करोड रुपए की शराब भरी बोतलें नष्ट करवाई थी। मुजफ्फरपुर जिले के एक शराब विक्रेता संजीव कुमार ने बताया कि दिन में पहले तो शराब विक्रेताओं अपने ग्राहकों को दो शराब की बोतल खरीद पर एक मुफ्त में दिए जाने का ऑफर दिया पर शाम होते–होते तक एक पर एक फ्री देने लगे। बिहार में

शराबबंदी को प्रभावकारी बनाने के पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क साधा गया था। पडोसी देश नेपाल सहित अन्य राज्यों से जुडी सीमाओं पर मौजूद चौकी पर निगरानी रखे जाने के साथ जहां चौकी नहीं है, वहां बैरियर का प्रबंध किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर शराब के व्यवसाय के तहत दूसरे प्रदेशों के लिए शराब की खेप या स्प्रीट लेकर बिहार होकर गुजरने वाले मालवाहक वाहनों के बिहार की सीमा में प्रवेश करने पर उस वाहन में जीपीएस और शराब या स्प्रीट की उस खेप में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा दिए जाएंगे और उसे इस प्रदेश की सीमा के पार करने पर उसे खोल दिया जाएगा और उस वाहन को पूर्व के 48 घंटे के बजाए अब 24 घंटे के भीतर बिहार की सीमा को पार कर लेना होगा। सभी चौकी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और नदी के जरिए शराब के अवैध कारोबार पर मोटर बोट के जरिए और रेल डिब्बों में जांच की जाएगी और रेलवे ट्रैक के किनारे शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए दो वाहनों के जरिए पेट्रोलिंग की जाएगी। बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए उत्पाद विभाग में एक नियंत्रण कक्ष बनाए जाने के साथ एक टोल फ्री नंबर 15545 और 18003456268 जारी किए जाने के साथ दस अन्य फोन कनेक्शन को इससे जोड़ दिया गया है और पुलिस मुख्यालय ने भी इसको लेकर फैक्स, ईमेल और एसएमएस नंबर जारी किए हैं ताकि निर्बाध रूप से शराब के अवैध बिक्री, कारोबार और निर्माण के बारे में सूचना एकत्रित तथा त्वरित कार्रवाई की जा सके। किसी जिला और थाना क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार होने की जिम्मेदारी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्ष की होगी।

गौरतलब है कि आखिर इस शराबबंदी का सच क्या है? इससे किसे ज्यादा फायदा है और किसे नुकसान किन्तु इन सबके बावजूद नीतीश कुमार शराबबंदी पर अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने एक ब्लॉग के जरिए कहा है कि ये एक बड़ी चुनौती है लेकिन वे इससे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ उनके गृह जिले नालंदा में शराब बनाने वाले लोगों पर हुए सामूहिक जुर्माने ने शराबबंदी से बेरोजगार हुए लोगों की एक नई कहानी सामने रख दी है। 10 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर भी उन्होंने शराबबंदी को लेकर अपनी सख्ती दिखाने की कोशिश की है। इन तमाम उठापटक के बीच अब ये सवाल गहरा रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर आखिर क्या सोच है? क्या सचमुच बिहार को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने शराबबंदी की इस मुहिम को शुरू किया है या फिर इससे पीछे भी कोई सियासी गणित है? शराब इस देश को खोखला कर रही है और शराबबंदी के जरिए देश में अपराध और युवाओं के भटकाव की समस्या से बहुत हद तक निपटा जा सकता है। बिहार में शराबबंदी के बाद से ही नीतीश कुमार शराब माफिया और विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद से एक छटपटाहट देखने को मिली है। इसी का नतीजा है कि उनके अपने गृह जिले नालंदा से लगातार अवैध शराब मिलना उनके लिए चुनौती बना हुआ है। इस सबके बीच नीतीश कुमार ने एक ब्लॉग के जरिए शराबबंदी की पुरजोर वकालत करते हुए गांधीजी को कोट किया। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 1931 में लिखा था– 'यदि मुझे 1 दिन के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले पूरे देश में बिना कोई मुआवजा दिए सभी शराब की दुकानों को बंद करवा दूंगा।' साथ ही उन्होंने गांधीजी की इस

बात को भी पुरजोर तरीके से लिखा कि 'किसी भी देश की जड़ों को खोखला करने के लिए नशा ही जिम्मेदार होता है। बड़ी–बड़ी सियासतों का अंत इसी शराब की वजह से हुआ है।' नीतीश ने जितनी भी बातें लिखी हैं उनसे शायद ही कोई इंकार कर पाए। इसमें सियासत की बू तब सामने आती है, जब वो इसी ब्लॉग में गुजरात का नाम लिए बगैर कहते हैं कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू भी की गई है वहां ये पूरी तरह से कामयाब नहीं है। ये बात सच भी है कि जिन राज्यों में शराबबंदी होती है, वहां शराब उपलब्ध हो जाती है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। ये जरूर है कि जिन राज्यों में शराबबंदी होती है, वहां अपेक्षाकृत इसके दुष्प्रभाव कुछ कम हो जाते हैं। हालांकि शराब के दुष्प्रभाव सामने आते हैं तो शराबबंदी के भी कुछ दुष्प्रभाव हमारे सामने आए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार शराबबंदी का दावा कर रहे दूसरी तरफ उनके गृह जिले नालंदा के इस्लामपुर नामक एक गांव के दलित परिवार उनकी सरकार पर बरसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, शराबबंदी के बावजूद यहां से बड़े पैमाने पर देशी–विदेशी शराब मिलने का सिलसिला जारी है। इसी वजह से प्रशासन ने हर परिवार पर 5–5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इन लोगों का कहना है कि उनके पास खाने को पैसा नहीं है तो वो जुर्माना कहां से भर पाएंगे? प्रशासन इस मामले को लेकर कितना सख्त है इसकी बानगी 10 एसएचओ को सस्पेंड करने की कार्रवाई से लगाया जा सकता है। गांव वालों का आरोप है कि राज्य सरकार ने इन लोगों को बेरोजगार कर दिया है। बेरोजगारी के कारण ही ये लोग शराब बनाने के धंधे में आए थे। इनका कहना है कि वे जुर्माना कहां से भरेंगे? जब पेट भरने के लिए भी पैसा नहीं है। सबसे अहम बात उन महिलाओं की है, जो शराबबंदी के फैसले से बहुत खुश थीं लेकिन उनका अब कहना है कि वो शराबबंदी तो चाहती हैं लेकिन उनके पतियों के जेल जाने की कीमत पर नहीं। शराबबंदी करना और शराब का छूट जाना में बहुत फर्क होता है। शराब लाखों लोगों का कारोबार है तो करोड़ों लोगों की लत है। लत और रोजगार दोनों ही चुनौतियों को सामने रखकर कोई फैसला लेना ही कारगर हो सकता है। यही वजह है कि सुशासन बाबू को ये लोग तानाशाह कहने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार को मिली शक्ति समाज की भलाई के लिए ही होती है। नशे का कारोबार किसी अधिकार के दायरे में नहीं आते हैं। ये आरोप बेबुनियाद हैं कि ये तानाशाही रवैया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि नशे बेचना, खरीदना, आयात करना, निर्यात करना या भंडारण करना किसी मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। समाज के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है और मैं ये जिम्मेदारी निभाता रहुंगा। इन आरोपों के बीच सुशासन बाबू पर शराबबंदी को लेकर एक राजनीतिक आरोप भी लगा। ये आरोप उनकी सियासी दोस्त कही जाने वाली आम आदमी पार्टी के ही एक सदस्य ने लगाए। अपने एक ब्लॉग में इन्होंने लिखा कि शराबबंदी के बाद जब मैं बिहार गया तो लोगों में इसको लेकर सकारात्मकता तो दिखी लेकिन साथ ही साथ एक डर का माहौल भी देखने को मिला। खासतौर पर महिलाएं जबरदस्ती शराबबंदी होने के बाद लगातार हो रही पुलिसिया कार्रवाई से बहुत खौफजदा हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि नए कानून के मुताबिक सिर्फ शराब रखने वाला शख्स ही नहीं, उसके परिवार के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को जेल भेजने का प्रावधान है। शराबबंदी के बाद राज्य सरकार को आबकारी आय में जबरदस्त घाटा उठाना पड़ रहा है। सुशासन बाबू को अपनी छबि

मजबूत करने में तो इससे फायदा मिल रहा है लेकिन आर्थिक तौर पर सरकार को इस मोर्चे पर झटका लग रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो ये काम कर ही क्यूं रहे हैं। इसी ब्लॉग में एक स्थानीय पत्रकार के हवाले से ये भी लिखा है कि अवैध शराब का कारोबार पार्टी फंड में ज्यादा पैसा लेकर आता है। नीतीश अगले लोकसभा चुनाव में खुद को मोदी की टक्कर में खड़ा मान रहे हैं, यही वजह है कि वो अगले चुनाव के लिए पैसा जुटाने में लगे हुए हैं। ये तर्क कमजोर दिखाई पड़ सकता है लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार ने बिहार लोकसभा चुनाव में अपनी हार को मोदी के खिलाफ हुई हार माना और लालू जैसे धुर विरोधी से हाथ मिलाने में भी गुरेज नहीं किया। केंद्र की राजनीति में मोदी के खिलाफ कोई और चेहरा विपक्ष की तरफ से नहीं दिखाई पड़ता है। मुलायम, ममता, जयललिता और नीतीश कुमार जैसे चेहरे स्थानीय राजनीति में बड़े हो सकते हैं लेकिन जब केंद्र की राजनीति की बात आती है तो ये चेहरे मोदी के कद के दिखाई नहीं पड़ते। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 2 साल पहले मोदी भी क्षेत्रीय राजनीति का ही चेहरा थे। गुजरात में रहते हुए उन्होंने खुद को राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी। नीतीश कुमार मोदी की ही राह पर चल रहे हैं। मोदी मंत्र को अपनाते हुए पहले उन्होंने अपने प्रचार को बिलकुल उन्हीं के अंदाज में सामने रखा। उन्हें किसी समय में मोदी की ही टीम का हिस्सा रहे प्रशांत किशोर का साथ भी मिला। गौर करने वाली बात ये है कि प्रशांत औपचारिक तौर पर बिहार सरकार के सलाहकार भी हैं। नीतीश के शराबबंदी के फैसले को भी बहुत दूरदर्शिता के साथ लिए गए फैसले के बजाए चुपचाप मोदी मंत्र को मान लेने के तौर पर भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि बेशक गांधी के बहाने ही सही, नीतीश कुमार को तानाशाह कहलाने में भी कोई हर्ज नहीं है।

बताते चले कि पिछले दिनों बिहार में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से नया शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां राज्य मंत्री परिषद की हुई विशेष बैठक के बाद कहा

कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई है। कुमार पूर्व से ही गांधी जयंती के अवसर पर (2 अक्टूबर) को शराबबंदी का नया कानून लागू करने की घोषणा कर चुके थे। कुमार ने कहा कि शराबबंदी के नए कानून मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 को 2 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में शराबबंदी लागू करने का संकल्प लिया गया। इस कानून में शराबबंदी के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानमंडल के मानसून सत्र में ही दोनों सदनों से इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी मिली थी और उसके बाद राज्यपाल ने भी इस पर मुहर लगा दी है तथा शराबबंदी के बाद लोगों में खासकर महिलाओं में उत्साह का माहौल बना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में तत्काल प्रभाव से नया शराबबंदी कानून प्रभावी हो गया है तथा राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। कुमार ने कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर राज्य सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। जो जनचेतना शराब के मुद्दे पर आई है, उसे आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जनचेतना के प्रतीक हैं और इसीलिए गांधी जयंती के दिन बिहार 'मध्य' निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेगी जिसमें बिहार सरकार के 5 अप्रैल की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने राज्य में शराबबंदी के फैसले को गैरकानूनी करार दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में शराबबंदी के बाद अवैध शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का शराबबंदी एक्ट गैरकानूनी है। कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को रद्द कर दिया है। समझा जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद राज्य में एक बार फिर शराब का दुकानें खुल जाएंगी। इसे राज्य की नीतीश सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। किन्तु बिहार सरकार उच्चत्तम न्यायालय में अपील किए जाने की आवश्यकता जताया है, क्योंकि इससे इस अवधि में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और कई अन्य बिंदुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कुमार ने कहा कि शराबबंदी ने बिहार की दशा और दिशा बदल दी है। राज्य सरकार ने इस अभियान को सभी के सहयोग से शुरू किया और इससे राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल बना है, जो महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष तथा महात्मा गांधी की जयंती पर नया कानून लागू कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई है। बापू शराबबंदी को समाज के लिए अतिआवश्यक मानते थे और उनसे ही प्रेरणा मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अभियान जारी रहेगा और वे देश में शराबबंदी लागू करने का अभियान चलाते रहेंगे। शराबबंदी देशहित, समाजहित तथा स्वयं के हित में है। राज्य सरकार सभी लोगों से इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की अपेक्षा करती है। वही शराबबंदी के अहम फैसले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर सरकार के पक्ष में दिया। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में शराबबंदी कानून निरस्त करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस फैसले के बाद पीने वाले लोगों में एक तरफ मायूसी छायी तो दूसरी ओर बिहार सरकार और उनके मुखिया नीतीश कुमार खुद को एक बार फिर से विजय प्राप्त करते प्रफुल्लित होते दिखे। अब इस शराबबंदी का सच क्या है, यह तो वक्त बतायेगा की श्री कुमार स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं या आगामी लोकसभा चुनाव की बहुत पूर्व तैयारी के लिए कोई नया तिगड़म चलाने की।

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

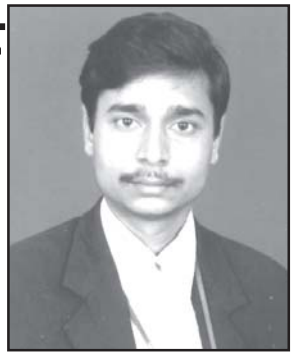

★ क्या किसी स्त्री को अपने पति से अलग रहते हुए भरण-पोषण लेने का अधिकार है?

हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18(2) के अनुसार कोई भी हिन्दू पत्नी बिना भरण-पोषण का अधिकार खोए हुए अपने पति से अलग निवास कर सकती है। इस धारा के अनुसार पत्नी निम्नलिखित कारणों से अपने पति से अलग रह सकती है:-(क) यदि पति, पत्नी के अभित्याग का अपराधी हो (ख) यदि पति ने पत्नी को इतना प्रताड़ित किया हो कि वह उससे काफी डर गई हो और सोचती हो कि उसके साथ रहना घातक है (ग) यदि उसका पति कुष्ठ रोग से ग्रसित हो (घ) यदि उसके पति की कोई दूसरी पत्नी जीवित हो (ड़) यदि वह उस घर में, जिसमें उसकी पत्नी रहती है, रखैल स्त्री रखता है या अन्यथा कही उस रखैल के साथ प्राय: रहता है (च) यदि वह हिन्दू धर्म त्याग कर कोई दूसरा धर्म अपना लेता है।

धारा 19(2) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में स्त्री को भरण-पोषण का अधिकार नहीं प्राप्त होगा:-(क) जब स्त्री धर्म परिवर्तन करके हिन्दू नहीं रह जाती है (ख) जब वह चरित्रहीन हो गई हो (ग) जब वह किसी बिना उचित कारण के अलग रह रही हो या आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप अलग रहती हो और अपने भरण-पोषण का दावा करती हो (घ) यदि उसने पुनर्विवाह कर लिया हो।

★ क्या प्रेम विवाह को कानून मान्यता देती है?

न्यायालय प्रेम विवाह को ठीक मानती है। किन्तु, इसके लिए प्रेम विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। इस तरह के एक मामले में रईस पाल (2010) के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह पर रूचिकर टिप्पणी करते हुए प्रेम विवाह को वैध तो माना है किन्तु ऐसे विवाहों को पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य बतलाया है। अपने निर्णय में न्यायालय ने कहा है कि व्यस्क लड़के एवं लड़की अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं लेकिन उनके विवाह का पंजीकरण होना जरूरी है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति श्री बीरेन्द्र सिंह की दो सदस्यीय खण्ड पीठ ने दिया है। मामले से जुड़े रईस पाल एवं लड़की ने बीते माह की 14 तारीख को विवाह कर लिया था। उनका कहना है कि विवाह के बाद से पुलिस और अन्य लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। जबकि दोनो बालिग हैं। याचिका के माध्यम से प्रार्थना की गई थी कि पुलिस एवं अन्य लोगों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकने का निर्देश दिया जाये। यहां भी कहा गया कि रईस पाल एवं लड़की दोनो ही बालिग है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया है। साथ ही सुप्रिम कोर्ट ने भी सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसलिए वे भी प्रार्थना पत्र देकर अपना विवाह पंजीकृत कराना चाहते हैं। हालांकि सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि याचिका भयवश पेश की गई है। न्यायालय ने कहा कि दोनो बालिग है, इसलिए अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रिम कोर्ट के निर्णय के अनुसार याचिकों के विवाह का पंजीकरण आवश्यक कर दिया है। ऐसे में दोनो उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण नियम 1973 के प्रावधान के मुताबिक अपने विवाह के पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि कोई उन्हें परेशान करता है तो वे उसके विरूद्ध कार्यवाई कर सकते हैं।

★ एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पक्ष में एक मेहर के समर्पण में अपनी भूमि में अपना मालिकाना हक पत्नी को अंतरित करता है, जबकि उस समय उस भूमि पर उसका स्वयं का मालिकाना हक नहीं था, परन्तु बाद में उसको मिलने वाला था, क्या ऐसा मेहर मान्य है?

ऐसा मेहर मान्य नहीं है। क्योंकि भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति मेहर नहीं बन सकती। मेहर विवाह का एक ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि विवाह के समय संविदा में उसका उल्लेख ना हो तो भी विधि स्वत: संविदा के आधार पर उसकी पूर्व धारणा कर लेगी। यदि विवाह के पहले स्त्री अपने मेहर के अधिकार का त्याग करे और मेहर के बिना ही विवाह करने के लिए तैयार हो तो ऐसा करार पर सहमति अमान्य होगी। मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी निश्चित की गई वस्तु, जिसका कोई मूल्य हो तो माल की परिभाषा में आती हो और अस्तीत्व में हो, मेहर की विषयवस्तु हो सकती है। प्रस्तुत समस्या में मेहर का दस्तावेज मान्य नहीं है, क्योंकि जो संपत्ति मेहर में दी गई थी वह संविदा के समय अस्तीत्व में ही नहीं थी, बल्कि बाद में मिलने वाला था, जो कि निश्चित संपत्ति नहीं है। पत्नी तत्काल देमेहर की अधिकारिणी है। भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति मेहर की विषयवस्तु नहीं बन सकती है। इसलिए ऐसा मेहर मान्य नहीं होगा।

★ कमलेश कुमार और खुशी कुमारी को गणेश कुमार की हत्या के लिए संयुक्त रूप से विचारित किया जाता है। क्या खुशी कुमारी के विरूद्ध न्यायालय कमलेश कुमार द्वारा इस कथन पर विचार किया जा सकता है कि कमलेश कुमार ने कहा था कि खुशी कुमारी तथा मैने गणेश कुमार की हत्या की थी?

हाँ, विचारित किया जा सकता है। आपका प्रश्न साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 पर आधारित है और कमलेश कुमार का कथन की उसने तथा खुशी कुमारी ने गणेश कुमार की हत्या की है, खुशी कुमारी के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा विचार में लिया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 इस प्रकार से है-'जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित किया जाता है तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने पूरे और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाला की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है तब न्यायालय ऐसे संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरूद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध विचार में ले सकेगा'। उपरोक्त धारा के निम्नलिखित तत्व हैं:-(क) एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण होना चाहिए (ख) सभी अभियुक्तों का एक साथ विचारण होना चाहिए (ग) सभी अभियुक्तों का विचारण एक ही अपराध के लिए होना चाहिए (घ) सह अभियुक्त का कथन संस्वीकृति होना चाहिए (ड़) ऐसी संस्वीकृति से स्वयं अभियुक्त और सह अभियुक्त प्रस्तावित होने चाहिए एवं (च) ऐसी संस्वीकृति विधिक रूप से साबित होनी चाहिए। आपके प्रश्न में कमलेश कुमार तथा खुशी कुमारी का गणेश कुमार की हत्या के लिए की गई संस्वीकृति खुशी कुमारी के विरूद्ध ग्राह्य होगी। इस धारा के अंतर्गत सर्वोच्च आवश्यक तत्व यह है कि सह अभियुक्तों के विरूद्ध एक ही अपराध के लिए विचारण हो रहा है। यदि ऐसा है तो एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति, दूसरे सह अभियुक्त के विरूद्ध विचार में लिया जा सकता है। अत: इस समस्या में कमलेश कुमार का कथन की उसने तथा खुशी कुमारी ने गणेश कुमार की हत्या की है। खुशी कुमारी के विरूद्ध भी न्यायालय द्वारा विचारित की जा सकेगी।

Dr Smita N. Deshpande

The ideal concept of health encompasses physical, mental, social and spiritual health. Physical health without enjoying full mental health, leads to loss of social and spiritual health as well. India has a large population of people affected with mental disorders. At least twenty people per every thousand are thought to be afflicted with major mental illnesses which significantly affect health, productivity and social integration not only of the people themselves but also of their families- since stigma against mental illness is rampant. Childhood mental disorders are another untended chunk. Children with mental retardation, autism, and learning disorders often remain undetected. Suicide is another huge problem although the causes of suicide are multifactorial.

Trained mental health personnel are too few to attend to these problems. The District Mental Health Programme (under National Mental Health Programme), now integrated into the National Rural Health Mission, aims to plug this gap to some extent but the issues relating to manpower and financial shortages are yet to addressed. Contrarily, there is a paucity of jobs in this sector which leads to large scale brain drain. Nevertheless the Government of India was always aware of the importance of mental health as part of overall health issues. India's National Mental Health Programme is ambitious in its reach and scope.

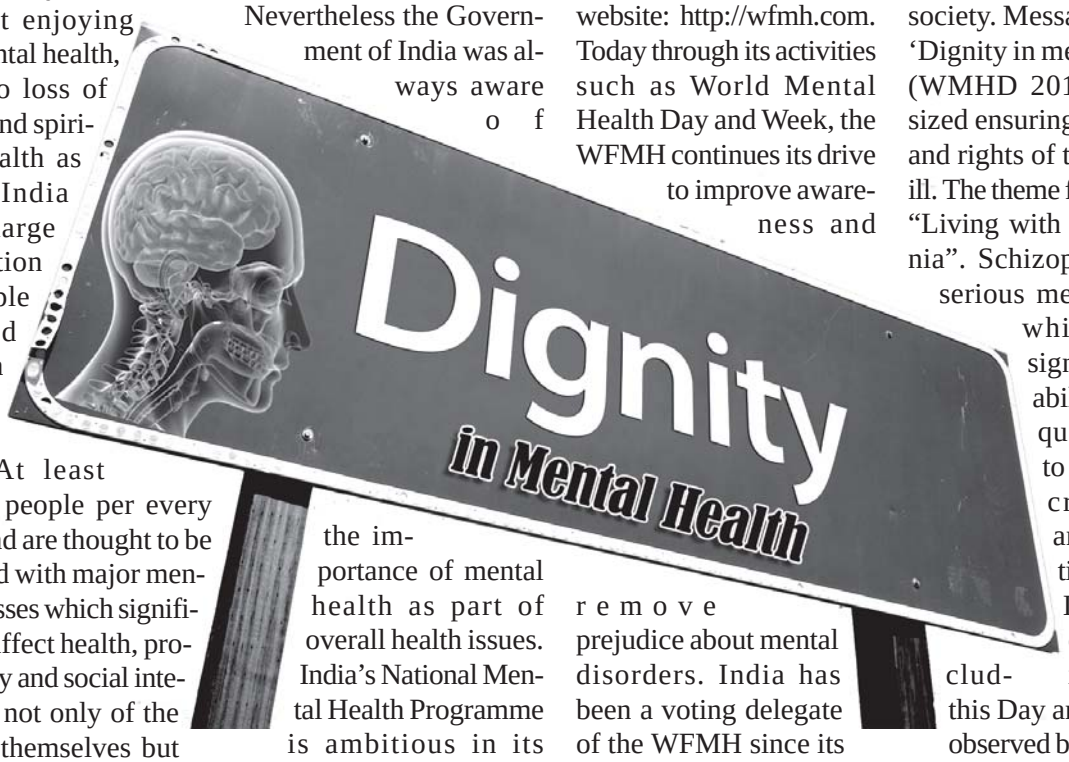

✯ World Mental Health Day

Encouraging positive mental health, and not just treat mental illness, has been the aim of the World Federation for Mental Health (WFMH) since its inception. The WFMH spearheaded the idea of World Mental Health Day on October 10 every year and was formed at the instance of the first Director-General of the World Health Organization (WHO), Dr. George Brock Chisholm, a Canadian psychiatrist. The driving principle of the WFMH is to 'promote among all peoples and nations the highest possible level of mental health in its broadest biological, medical, educational, and social aspects' as cited at their website: http://wfmh.com. Today through its activities such as World Mental Health Day and Week, the WFMH continues its drive to improve awareness and remove prejudice about mental disorders. India has been a voting delegate of the WFMH since its inception.

The first World Mental Health Day was observed in 1992, as a tool to draw attention to the need for mental health education, awareness and advocacy. Messages for World Mental Health Day indicate the work that still needs to be done for integrating the mentally ill into society. Messages such as 'Dignity in mental health' (WMHD 2015) emphasized ensuring the dignity and rights of the mentally ill. The theme for 2014 was "Living with schizophrenia". Schizophrenia is a serious mental illness which causes significant disability, and frequently leads to stigma, discrimination and deprivation of rights. In many countries including India, this Day and Week are observed by organising activities centred around focussing on the need for early detection, treatment, inclusion and empowerment of the mentally ill. Since mental illness deeply affects family members as well, they are also contribute in advocacy. Mental health organizations, professionals, teaching institutions, advocates and mental health personnel under-

take several activities to generate awareness about the issues relating to mental health. This year's World Mental Health Day message is Dignity in Mental Health: Psychological and Mental Health First Aid for All.

All of us have to face traumatic situations, and many have to face crises - for instance sudden loss of a loved one, failure, sexual or other abuse, rape or accident. Immigration has led to widespread, traumatic displacement of people all over the world. India itself faces a large influx of legal and illegal immigrants displaced due to difficult life circumstances. Many Indians who went abroad for livelihoods are being sent back to an uncertain future. Anyone facing a crisis event is vulnerable to great emotional disturbance leading to anxiety, depression, increased risk of substance abuse, increased need for care and support, social impairment and psychological distress. People facing such trauma need several different kinds of help from different sectors- police, primary health care, even teachers in schools, neighbours, and social workers in case of child or woman abuse.

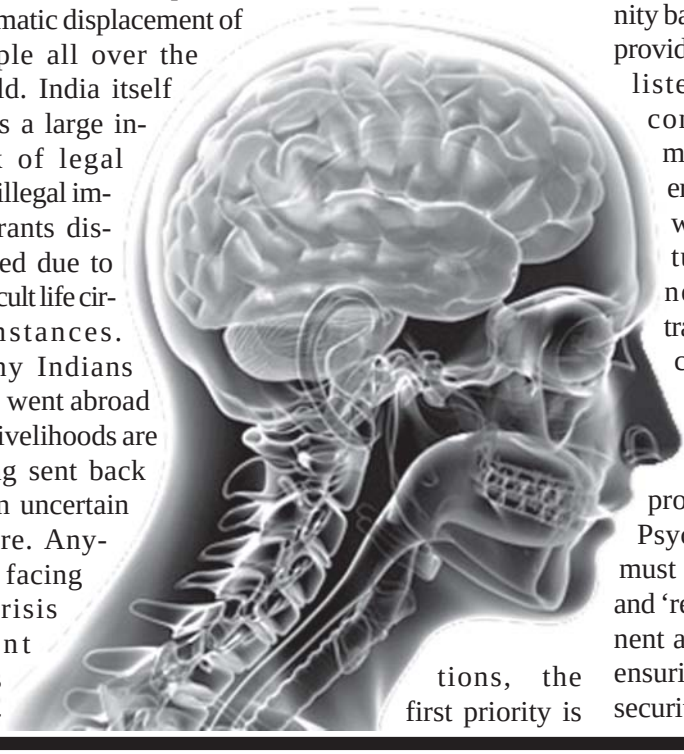

In stressful situations, the first priority is of course protecting life and limb through effective first aid. But usually this needs to be supplemented with psychological or psychosocial first aid to ensure early and optimum recovery. What does such first aid comprise of? Psychological first aid emphasizes support and practical assistance, listening without forcing the person to speak. Assessing the immediate needs and concerns of the person, appropriate social and community based help needs to be provided. Such empathetic listening and caring comes naturally to many people but others feel uncomfortable while still others may turn away or react negatively. Hence training in psychological first aid, without going into the history of antecedent events, needs to be provided immediately. Psychological first aid must have a large social and 'reality' based component as well- for instance ensuring safety, food and security, locating lost relatives, calling upon existing social supports for the person and so on.

The World Health Organization developed a one day training manual for psychological first aid which is widely used. In disasters, it needs to be the first response after saving life. Subsequently it should be supplemented with structured community support, care of the vulnerable population such as those at extremes of age, the disabled and mentally ill. For those with more severe issues, trained mental health care will be necessary. Psychological first aid should be an essential component of training of disaster health workers, and of those who are often called upon in crises such as the police, firemen, or emergency health care workers. This could prevent escalation of healthcare needs and improve outcome for both survivors and workers in crisis situations. Let us hope that this year's World Mental Health Day succeeds in bringing this important training to the fore.

इंकलाब जिन्दाबाद इंटक जिन्दाबाद मजदूर एकता जिन्दाबाद

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

यदि आप कैजूअल/दैनिक/ठीका मजदूर के रूप में निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में कार्यरत्त हैं, इसके अतिरिक्त होटल रेस्तरां, अस्पताल-स्कूल, अन्य संस्थान निर्माण/बीड़ी क्षेत्र, स्थानीय निकाय, लोडिंग-अनलोडिंग, केन्द्र/राज्य सरकार के स्कीम्स एवं अन्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत्त हैं, साथ ही वेंडर्स, घरेलू कामगार, रिक्शा/टेम्पो/टैक्सी चालक हैं तो अपने हक एवं अधिकार के साथ ही मजूदरी के निर्धारण, काम की सुरक्षा, कानून अंतर्गत सुविधायें एवं ईपीएफ/ईएसआई का लाभ प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) से संबंद्ध श्रमिक संघों से जुड़ें एवं मजदूर आन्दोलन को ताकत दें।

चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रदेश अध्यक्ष (इंटक) बिहार।

Website :-www.prakashintuc.com
Mob.:- 9431016951, 9334110654
E-mail :-chandraprakash.intuc@yahoo.com

पानी टंकी वाटर बोर्ड कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना-800013 (बिहार)

www.kewalsach.com SHRUTI MEDIA NETWORK www.kewalsachtimes.com

'राष्ट्र की एकता के लिए हमारा जमीर जिन्दा है'

बेहतर भविष्य किसी का इंतजार नहीं करती

केवल सच

केवल सच टाइम्स

आज और अभी सम्पर्क करें केवल सच के संपादक से

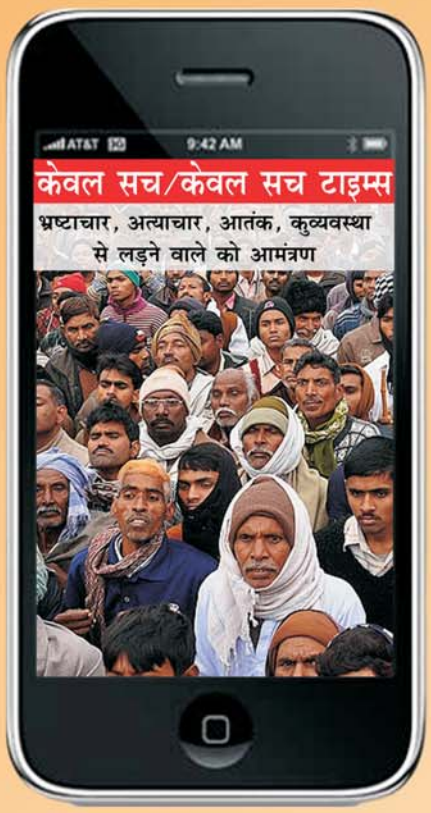

सिर्फ

केवल सच लिखने के लिए

09431073769

पर कॉल करें।

केवल सच/केवल सच टाइम्स

"प्राथमिकता खबर नहीं, समस्या का समाधान।"

समाचार के लिए चाहिए, संघर्षशील पत्रकार

100 पृष्ठ की बिहार/झारखण्ड की मासिक पत्रिका

केवल सच लिखने वाला नम्बर एक पत्रिका